

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 28]

नई बिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1995/आवाह 24, 1917

No. 28]

NEW DELHI, SATURDAY JULY 15, 1995/ASADHA 24, 1917

इ.स. भाग में भिन्न गुब्द संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संख्रासन के क्या में रखा का सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II--वण्ड 3--इप-वण्ड (i) PART II--Section 3--Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रजासनों को छोड़ कर) द्वारा विधि के सन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण साविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के मावेश, उपनियम आवि सीम्मीलत हों)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(स्राधिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 1995

सा.का.नि. 330 :---यतः दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली संध शासित क्षेत्र ने यह अनुरोध किया है कि राज्य विस्तीय निगम प्रधिनियम, 1951 (1951 का 63) के कितपय उपबंध दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली के बहुप्रयोजन उद्योग विकास निगम लिमिटेड पर, जिसकी स्थापना दमन दीव और दादरा और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा औद्योगिक कम्पनियों का विस्त पोपण करने के लिये की गई है, पर लागू होने चाहिए।

ग्रसः ग्रब, राज्य वित्तीय निगम प्रधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त शक्तिकों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्हारा निर्देश देती है कि उक्त ग्रिधिनियम की धारा 29, 30 भौर 31 के उपबन्ध उक्त बड़ प्रयोजन दमन, दीव ग्रौर दादरा ग्रौर नागर हवेली उद्योग विकास निगम लिमिटेंड पर लागू होंगे।

> [एफ सं. 6/3/93-प्राई.एफ. (ii)] वी.पी. भारद्वाज, श्रवर मचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

IF-II Section

New Delhi, the 26th June, 1995

G.S.R. 330.—Whereas the Government of the Union Territory of Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli have requested that the certain provisions of the State Finanaucial Corporations Act, 1951 (63 of 1951) may be made applicable to the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman, Dru

and Dadra and Nagar Haveli limited an institution established by the Government of the Union Territory of Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli, which has for its object the financing of Industrial concerns;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 46 of the State Financial Corporations Act, 1951 (63 of 1951), the Central Government hereby directs that the provisions of Sections 29, 30 and 31 of the said Act shall apply to the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli limited.

> [F. No. 6|3|93-IF-II] V. P. BHARDWAJ, Under Secy

(राजस्व विभाग)

(स्वापक नियंत्रण ब्युरो)

मई दिस्ली, 3 जुलाई, 1995

- सा. का. नि. 331:—-राष्ट्रपति, संविधान के अन् च्छेब 309 के परन्तुक द्वारा प्रवत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व विभाग (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 1994 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—
- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्व विभाग (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह "ख" भर्ती (संशोधन) नियम, 1995
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

राजस्व विभाग (स्वापक नियंत्रण अपूरो) समूह ''ख'' पद भर्ती नियम, 1994 की श्रनसूची में क्रम सं. 2 ग्रौर उससे संबंधित प्रविष्टियों के पण्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक ग्रौर प्रविष्टियां ग्रंत:स्थापित की जाएगी ग्रर्थात् :---

श्रन सुची

पव	का नाम	पदों की संख्या	व र्गीकरण	वेतनमान	चयन पद श्रथवा श्रचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षी का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के घ्रधीन धनुजेय है या नहीं	वाले व्यक्तियों के लिए श्रायुसीमा
	1	2	3	4	5	6	7
3.	कम्पयूटर कार्यक्रम	01 (1995) *कार्यभार के भाधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''ख'' राजपन्नित, भनन्,सचिवीय	2000-60- 2300 द. रो 75-3200- 100-3500 ह.	लागू नही होता	लाग्ृनहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रपेक्षित सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के परिवीक्षा की प्रविध यदि कोई हो लिए विहित भ्रायु और गैंक्षिक मह-ताएं भ्रोभत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

8 9 10

लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता लागू नहीं होता

भर्ती की पढ़ितः भर्ती सीधे होगी या प्रोभित द्वाराया प्रति - प्रोभित/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रीणयां नियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पढ़ितयों द्वारा भरी जिनसे प्रोभिति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।

जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानोत्तरण (स्राई. एस. टी. सी.)/ संशस्त्र बल कार्मिकों का पुनर्नियोजन प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण

(जिसके भन्तर्गत भल्प कालिक संविदा भी है।)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/स्वशासी संगठनों के ग्रधीन ऐसे भ्रधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित भाषार पर सदृश पद धारण किए हुए है, या
- (ii) जिन्होंने 1640-2900 घ. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्षे नियमित सेवा की है, या
- (iii) जिन्होंने 1400-2300 र या समतुत्य वेतनमान वाले पदों पर झाठ वर्ष नियमित सेवा की है, और जिनके पास निम्न-लिखित झईताएं झौर झनुभव है:---

ग्रावश्यक:

- (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम सी ए या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में दिग्री या समतुल्य।
- (ii) क्रम्पयूटर उपयोजन धौर कार्यक्रमण में एक वर्ष का धनुभव।या
- (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/ संक्रिया प्रनुसंधान /गणित (सांख्यिकी सहित)/भौतिक विज्ञान या प्रयोगास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर दिग्नी या दंजीनियरी में दिग्नी या समसुख्य।
- (ii) कम्प्यूटर उपयोजन में दो वर्ष का धनुभव जिसमें से एक वर्ष का धनुभव कार्यक्रमण में होना चाहिए। या
- (ग) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/भौतिक विज्ञान/संक्रिया ग्रमुसंधान या गणित/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में वैचलर डिग्नी या समतुरूय।
- (ii) कम्पयूटर उपयोजन में पांच वर्ष का मनुभव जिसमें से एक वर्ष का मनुभव कार्यक्रमण में होना चाहिए।

सगस्त्र बल कार्मिकों के लिए

प्रतिनिय्क्ति पर स्थानांतरण पूर्नानयोजन

सगस्त्र बल के सैकेड लेक्टीनेंट या समत्त्रय के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की भ्रवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं श्रौर जिनके पास उपर विशित शैक्षिक ग्रर्हताए श्रीर श्रनुभव हैं। यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसे प्रधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सगस्त्र बल से निर्मक्त किया जाता है, तत्पश्चात उन्हें पूर्नामयोजन के निबंधनी पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात ग्रीध कारी उस पद पर वास्तविक जयन से पूर्व सेवानिवस हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के ग्राधार पर की जाएगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से भधिवविता की ग्राय तक पूर्नानयोजन)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों से संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श लिया जाएगा

13

14

विभागीय प्रोन्नति समिति

(पूर्नियोजित व्यक्तियों की पूष्टि के लिए):

1. महानिधेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

2. संयुक्त सचिव, स्वापक नियंत्रण ब्युरों

3. उप निवेशक, स्वापक नियंत्रण व्यूरो

संघ लोक सेवा धायोग सेपरामर्श करना प्रावश्यक है।

[फा. नं. ---IV /5/95--- एन सी बी (कोर्ड)]

लखबीर सिंह, ग्रवर सिंब (समन्वय)

पाद टिप्पण:--मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, बंड 3, उप-खंड (1) में सा. का. ति. स. 646 तारीख 9 दिसम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

~-- मध्यक्ष

~-सदस्य

~−स'दस्य

(Department of Revenue) (Narcotics Control Bureau) New Delhi, the 3rd July, 1995

G.S.R. 331.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Revenue (Narcotics Control Bureau Group 'B') Recruitment Rules, 1994 namely :--

1. (1) These rules may be called the Department entries shall be inserted, namely:

of Revenue (Narcotics Control Bureau) Group 'B' Recruitment (Amendment) Rules, 1995;

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette;
- 2. In the Schedule to the Department of Revenue (Narcotics Control Bureau Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1994 after serial number 2 and entries relating thereto the following serial number and

[HI4 TT43 3(1)]		भारतका राजपन्नः जुर	116 15,1995/अ191	\$ 24,1917		15/3
		SCHEDU	LE			
Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay		ner ion or election	Whether benefit of added years of service is admissible U/R 30 of CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4		 ;	6
3. Computer Programmer	(1995) S G G	General Central Service roup 'B' azetted on-Ministerial	Rs. 2000-2300 EB-75-3200- 100-3500)- Not a	pplicable	Not applicable
*Subject to vari	ation dependent on wor	kload			~~	
Age limit for direct Recruitment	Educational and other qualifications for Direc Recruits	t educational	l qualifications vill apply in the		n wheth promoti tation/tr of vacar	od of recruitment er by D.R. or by ion or by depu- ansfer and % age acies to be filled ous methods
7	8	9		10	11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Not applicable	Not applicable	Not applica		Not pplicable	(ISTC)	er on deputation /Re-employ- Armed Force nel.
	otion/deputation/transfeleputation to be made	er, If DPC exicomposition	sts, what is its	Ţ		nces in which the
ر میشود شهیده میسور پیست ، بیشود شهیده به آنام این ا در میشود شهیده میسود بیشود با این این این این این این این این این ای	12	13	- 		14	— — — — <u>— — — </u>
(contract) Officer under the Cent Universities/Autono (a) (i) Holding analog basis; or ii) With three years' 1 the scale of Rs. 164 or	tral/State Govts./ omous Organisations: ous posts on a regular regular service in posts: 40-2900/- or equivalent;	Re-emplo 1. Director — Chairn 2. Joint Sec 3. Deputy	confirmation of oyed (Persons) General NCB-nan oretary NCB-l Director NCB-	: 	Consultati necess	ion with UPSC ary

12

13

14

- (b) Possessing the following educational qualifications and experience:Essential:
- (A) (i) MCA or Degree in Computer Technology/ Computer Engineering/Computer Science from a recognised University or equivalent.
- (ii) One year's experience in Computer Application and Programming.

OR

- (B) (i) Master's Degree in Statistics/Operation Research/Mathematics (with Statistics)/ Physics or Economics /Commerce (with (Statistics) or Degree in Engineering from a recognised University or equivalent.
- (ii) 2 year's experience in Computer Application out of which one year's experience should be in programming

OR

- (C) (i) Bachelor's Degree in Statistics/Physics/ Operation Research or Mathematics/ Commerce (with Statistics) from a recognised University or equivalent.
- (ii) 5 years' experience in Computer Application out of which one year's experience should be in programming.

For Armed Forces Personnel

Transfer on Deputation/Re-Employment:
The armed forces personnel of the rank of second lieutenant or equivalent and who are due to retire.

OR

to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational qualification and experience as shown above shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter they may be enotinued on re-employment basis. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of Superannuation with reference to civil posts)

[F. No. IV/5/95-NCB (Coord.)]

LAKHBIR SINGH, Under Secy. (Coord)

उद्योग मंश्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 1995

सा का नि 332 : - राष्ट्रीय, संविधान के अनुच्छेच 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्न मक्तियों का प्रयोग करते हुए और लघ उद्योग विकास संगठन (ज्येष्ठ लेखाकार समूह "ख" पर) भर्ती नियम, 1968 को, उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उद्योग मंत्रालय के अधीन लघ उद्योग विकास संगठन में ज्येष्ठ लेखाकार के पर पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- ा संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु उद्योग विकास संगठन (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 1995 है।
 - (2) वे राजपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--उक्त पथ की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो उक्त उपाबद श्रनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में वितिर्दिग्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धति, ग्रायु-सीमा ,भन्य श्रर्हताएं ग्रादि : उक्त पद पर भर्ती को पद्धति, श्रायु-सीमा ग्रर्हताएं श्रीर उससे संबंधित श्रन्य बातें वे होंगी जो उक्त श्रनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 4. निरर्हता : वह व्यक्ति :
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ;
 - (ख) जिसने श्रपने पति या ग्रपनी पत्नो के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ; उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान होता है कि ऐसा विवाह ऐसे ध्यक्ति और विवाह के श्रन्य पक्षकार को ्लागृ स्वीय विधि के श्रधीन श्रन्क्रेय है भौर ऐसा करने के लिए श्रन्य श्राधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की गक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां बह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबढ़ करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्गगया प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेण ढारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, जैसे श्रारक्षण ग्रायु-सीमा में छूट ग्रीर श्रम्य रियायतो पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय संगय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुस्चित जातियों, श्रनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों ग्रीर श्रन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना श्रपेक्षित है।

			अनुसूची			
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद ग्रथका ग्रचयन पद	वाले व्यक्तियों के लिए द्यायु-सीमा	ाने सेवा में जोड़े गए वर्षो का फायदा केन्द्रीय सिविन्न सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के श्रधीन श्रनुक्षेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ लेखाकार	3* (1995)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" श्रराजपत्नित, श्रनन्सिचवीय	1640-60-2600- -इ.से75- 2900 ह.	- लागू नहीं होता	लागृनहीं होता	लाग् नहीं होना

ती घे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्तिस गैक्षिक श्रौर श्रन्य श्रर्हनाएं	सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित भ्रायु श्रीर गैक्षिक श्रहेताएं प्रोन्नस व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो					
8	9	10					
लागू नहीं होता	नागू नहीं होता	लागू नहीं द्वोता					
<u>به هم به </u>							
	त प्रोन्नित/प्रितिनियुक्ति/स्थामान्तरण द्वारा भर्ती व /प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा ।						
11	1 2						
प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण	<u> </u>					
·	(भ्र) (क) (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जो नियमित श्राधार पर सद्ष्ण पद धारण किए हुए हैं ।						
	(2) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के में दस वर्ष नियमित सेवा की है ; '	•					
	(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण श्रीर प्रबन्ध में प्रशिक्षण या समतुल्य प्राप्त किया है						
	(भ्रा) केन्द्रीय सरकार के श्रधीन ऐसे श्रधि	कारी :-					
	(क) (1) जो नियमित स्राधार पर सदृश	पद धारण किए हुए हैं ; या					
	(2) जिन्होंने 1400-2300/2600/- रु. पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; या	_					
	(3) जिन्होने 1200-2040 /- रु. या सम् नियमित सेवा की है ; श्रीर	नुल्य वेतनमान वाले पदों पर देस वर्ष					
	(ख) जिन्होंने सिचवालय प्रशिक्षण श्रीर संस्थ प्रशिक्षण या समतुल्य प्राप्त किया है जिनवे का तीन वर्ष का श्रनुभव है ।						
	केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित सेवा विभाग या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण ।	डारा संचालित श्रधीनस्थ लेखा सेवा					
	प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण । स्थानान्तरण इ	,					

यदि विभागीय प्रोन्नित सिमिति है सो उसकी संरचना भर्ती करने में किन प्रतिसिमों में संघ सोक सेवा प्रायोग से परामर्ज किया जाएगा ।

13

वागृ नहीं होता संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्ण करना आवश्यक नहीं है ।

[सं. ए-12018/(1)/94-प्र.(मु.स्था.)] एम.पी.जोन. उप निदेशक (प्रशासन)

MINISTRY OF INDUSTRY

New Delhi, the 31st May, 1995

G.S.R. 332.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Small Industries Dvelopment Organisation (Senior Accountant—Group B Post) Recruitment Rules, 1968 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Accountant in the Small Scale Industries Development Organisation under the Ministry of Industry, namely:—

- 1. Short title and commencement.——(1) These rules may be called the Small Scale Industries Development Organisation (Senior Accountant) Recruitment Rules, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number, classification and scale of pay.—The number of posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

- 4. Disqualification.—No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Senior Accountant.	3* (1995)	General Central Service, Group—'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900
-	o veriation dependent ork-lead.		

Whether selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.		Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rule, 1972.		Educational and other qualifications required for direct recruits.
5		6	7		8
Not applicable	Not ap	plicable	Not ap	plicable	Not applicable
Whether age and Educational qualifications described for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitme Whether by direct cruitment or by partition or by deputatransfer and percet of the vacancies filled by various methods.	t re- deromo- poromo- portion/ entage to be	eputation	ecruitment by promotion, n/Transfer grades from which n/transfer/deputation to be
9	10	11			12
Not applicable	Not applicable	By transfer of tion	A	(a) (1) (2) (b) When cas is is in the case when the case when (a) (1)	regular service in the grade and no have undergone training in h and accounts work in the IM or equivalent and possessee years' experience of cash, counts and budget work: failing ich; ander the Central Govt. holding analogous posts on regular basis: OR
•				(3)	in posts in the pay scale of Rs. 1400—2300/2600 or equivalent; OR with ten years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 1200-2040 or equivalent: and

9

10

" 1 Í

12

(b) Who have undergone training in cash and accounts work in the ISTM or equivalent and possess three years experience of cash, accounts and budget works.

OR

A pass in the SAS or equivalent Examination conducted by any of the organised Accounts Deptt. of Central Govt.

The maximum age limit for appointment by transfer on deputation/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If Departmental Promotion Commitiee exists, what is its composition.

Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

13

14

Not applicable.

Consultation with the Union Phulic Service Commission is not necessary.

[No. A-12018(1)/94-A(HE)]

M. P. JOHN, Dy. Director (Admn.)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जून, 1995

सा.का.नि. 333.—राष्ट्रपति, संविधान के ध्रनुष्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केम्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में समूह "क" वैज्ञानिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, श्रमीत्:—

- गंधिप्त नाम और प्रारंभ:---(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बांह (वैज्ञानिक समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1995 है।
- (2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृक्त होगे।
- 2. परिभाषाएं:—-इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो---
 - (क) "भायोग" सें, संघ सोक सेवा भायोग भ्रभिन्नेत हैं,
 - (ख) 'नियंत्रक प्राधिकारी' सें, भारत सरकार का जन संसाधन मंजालम सभिन्नेंत है,

- (ग) विभागीय प्रोन्नति सर्लिति" सें, किसी श्रेणी में प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए गठित समिति, भूभिप्रेत है
- (ष) ''सरकार'' से भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय श्रमित्रेत है:
- (ङ) "श्रनुसूची" से इन नियमों से उपावद प्रनुसूची श्रमित्रेत है;
- (च) किसी श्रेणी के संबंध में नियमित सेंबा सें इन नियमों के बधीन चयन और नियुक्ति के परचात् उस श्रेणी में की गई सेंवा की अवधि या अवधियां अभिन्नेत हैं और जिसके अन्तर्गत कोई ऐसी अवधि या अवधियां भी हैं;
- (i) जिनकी गणमा सेवा के प्रारंभिक गठन के समय नियुक्त व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए की गई है:
- (ii) जिसके दौरान कोई मधिकारी उस श्रेणी में पद धारण करता किन्तु छुट्टी पर होने के कारण या ऐसा पद धारण करने के जिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होने के कारण उसने पद धारण महीं किया;

- (छ) 'म्रनुस्चित जातियों और म्रनुस्चित जनजातियों '' के वही मर्थ होंगे जो उनको संविधान के म्रनुच्छेद 366 के कमणः खंड (24) और (25) में हैं:
- 3. लागृ होता :---ये नियम, ग्रनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्षिण्ट पदों को लागृ होंगे ।
- 4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेसनमान :-- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान, नियम- 7 में भैसा उपबंधित है, उसके सिवाय, वे होंगे जो प्रनुसूची के स्तम्भ (2) सें स्तम (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

5. प्रारभिक गठन:

(1) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में कार्यरत ऐसे सभी समूह "क" अधिकारी, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को, सारणी के स्तंभ 1 में बिनिर्दिष्ट पदों को जिनका बेतन-माम उकत सारणी के स्तंभ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, निर्मासत आधार पर धारण किए हुए हैं, सारणी के स्तंभ 3 में तदस्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिट रूप में पुनः पद्माभिहित किए आएंगे और उक्त पदों पर प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

सारणी

पद का नाम	वेतनमान	नए पद पदाभिष	
1 '	2	3	
 निदेशक, प्रधीक्षण रसायनज्ञ, प्रधीक्षण भू-भौतिकी- विद् प्रधीक्षण जल विज्ञानी 		वैज्ञानिक वैज्ञानिक	" 强 "
 ज्येष्ठ जल भू विज्ञानी, ज्येष्ठ भू-भौतिकीबिद्, ज्येष्ठ रसायमञ्ज, ज्येष्ठ जल विज्ञानी 		वैज्ञानिक	"ग्"
 कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी कनिष्ठ भू-भौतिकी- 		वैज्ञानिक	^{११} ख्य ²⁷

2. उप-निष्यम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों की, वैज्ञानिक "ख", वंज्ञानिक ूंग" और वंज्ञानिक "घ" के नए रूप में पद्माभिहित पदो पर उनकी निमुनित के पूर्व की निम्मित मिरन्तर मेवा, परियीक्षा की अवधि, प्रोन्नति के लिए आईक सेवा, पुष्टि धौर पेंगन के प्रयोजनों के निष्, सुगणित की जाएगी।

बिद्रसायनज्ञ, जलौल्का 100-4000 र.

विज्ञानी

6. भर्ती की पद्धति, श्रायु-सीमा ग्रीर श्रन्थ श्रर्हताएं:

उक्त पदों पर भर्ती की पढ़ित, सायु-सीमा, अर्हताएं श्रोर उनसे संबंधित श्रन्य बातें वे होंगी जो अनसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में यथा बिनिर्दिष्ट हैं।

7. भावी अन्रक्षण: --

- (1) अनुसूची में विभिन्न पदों की बावत यथा विनिदिण्ट मूल्यांकन बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार
 होगी और उसमें वह ऐसे सभी विभागीय प्रधिकारियों के
 मामलों पर जिन्होंने उस वर्ष के जिसमें ऐसे विभागीय प्रधिकारी स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए जहां-कहीं लागृ हों, पाल हो
 गए हैं, पण्चात्वर्ती वर्ष की पहली जनवरी को अपनी-अपनी
 श्रेणी में अपेक्षित ग्रह के सेवा पूरी कर ली है, अगली उच्चतर
 श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उनकी उपगुक्तता निर्धारित करने
 के लिए विचार करेगा।
- (2) सुनम्य कांटिपूरक श्रार स्वस्थाने प्रोन्नति पहित का अनुसरण, वैज्ञानिक "ख", वैज्ञानिक "ग" श्रीर वैज्ञानिक ,"ध" की श्रीणियों में के विभागीय श्रीधकारियों की क्रमणः उच्चलर श्रीणियों अर्थात् वैज्ञानिक "ग" श्रीर वैज्ञानिक "घ" में प्रोन्नति के मामले में किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों के श्रधीन रहते हुए होगा, श्रथीत्:—
- (क) ग्राधिकारियों की कुल मिलाकर संख्या, किसी भी नियत समय पर वैज्ञानिक "ख", वैज्ञानिक "ग" श्रीर वैज्ञा-निक "घ" की श्रीणियों में पदों की कुल संख्या से श्रिधिक नहीं होगी किन्तु संबंधित श्रीणियों की बाबत पदों की संख्या में पूर्णत: सुनम्यता होगी।
- (सा) ऐसे विभागीय मधिकारी की जिन्होंने प्रपनी-भपनी श्रेणी में अनुसूची के स्तंभ (12) में विनिर्दिष्ट श्रपेक्षित नियमित सेवा पूरी कर ली है, उससे अगली उच्चतर श्रेणी में, प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन बोर्ड हारा, जो अनुसूची के स्तंभ (13) में बिनिर्विष्ट प्रधिकारियों से मिलकर बनेगा, सिफारिश की जा सकती है। प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का मृत्यांकन करते समय य बोर्ड उनकी ग्रर्हता, कार्य गुणागुण भीर ज्येष्ठता पर विचार करेगा। चयन गांपनीय रिपोर्ट भ्रीर साक्षात्कार के ग्राधार पर किया जाएगा। तथापि, मुल्यांकन बोर्ड, स्वविवेकानुसार ऐसे श्रधिकारी की, जो साक्षात्कार में उपस्थित होने में घसमर्थ है, अनुपरिथ ति में, उसकी अभ्यर्थिता पर विचार कर सकता है। मूल्यांकन बोर्ड, ऐसे प्रधिकारियों की मुची तैयार करेगा जिन्हें सगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए योग्य निर्धारित किया गया है। जहां तक भारत में या विदेश में (मूल नियम 51 के श्रधीन) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे क्यक्तियों का संबंध है, ग्रगली उच्चतर श्रेणी में उनकी प्रोन्नति उस तारीख संप्रभावी होगी, जिसको उनकी इसप्रकार प्रोक्षति हुई होती यदि वे प्रशिक्षण पर नहीं गए होते । किन्तु यह निम्नलिखित शतीं को पूरा करने के ग्रधीन की जाएगी : --

- (i) ऐसे प्रशिक्षण की प्रविधामूल नियम 9(6) (ख) के प्रधीन ड्यूटी के रूप में मानी गई हो।
- (ii) उनका ध्रगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए भनुमोदन कर दिया गया हो।
- (iii) उनसे ज्येष्ठ सभी उपलब्ध व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों के सिवा जिन्हें विशिष्ट श्रेणी में श्रोन्नति के लिए अयोग्य माना गया है, उस श्रेणी में श्रोन्नत कर दिया गया हो।
- (3) (क) बैज्ञानिक "ख" (किनिष्ठ जल भू-विज्ञानी) वैज्ञानिक "ग" ग्रीर वैज्ञानिक "घ" की श्रीणयों में पदों की कुल संख्या जल भू-विज्ञान शाखा में कुल मिलाकर 276 होंगी वैज्ञानिक "घ" की श्रेणी में ज्येष्टतम 16 ग्रधिकारी, निदेशक के रूप में कुरयकारी तौर पर ग्राभिनयोजित किए जाएंगे वैज्ञानिक "घ" ग्रीर वैज्ञानिक "ग" की श्रेणीयों में ग्रगले ज्येष्ठतम 91 श्रधिकारी ज्येष्ठ जल भू विज्ञानी के रूप में कुत्यकारी तौर पर श्रभिनियोजित किए जाएंगे और ग्रेष ग्रिधिकारी कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी के रूप में कुत्यकारी तौर पर श्रभिनियोजित किए जाएंगे ।

जल भू-विज्ञानी माखा में 276 ग्रधिकारियों की कुल संख्या में वर्ष में हुई कमी उस विशिष्ट वर्ष में वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल भू विज्ञानी की श्रेणी में उद्भूत रिक्तियां होगी बग़र्ते वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी) की कुल संख्या 169 से श्रधिक नहीं हो। 276 पदों की इस कुल संख्या में कार्य-भार के श्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

- (ख) वैज्ञानिक 'ख'' (कनिष्ठ गभू भौतिकां बिद्), वैज्ञानिक 'ग' और ''घ'' की श्रेणियां में पदां की कुल संख्या भू-भौतिकी शाखा में कुल मिलाकर 23 होगी'। भू भौतिकी शाखा में कुल मिलाकर 23 होगी'। भू भौतिकी शाखा में क्येष्ठतम वैज्ञानिक ''घ'' सधीक्षण भू-भौतिकी विद् के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और वैज्ञानिक ''घ'' की श्रेणियों में अगले ज्येष्ठतम 5 अधिकारी ज्येष्ठ भू भौतिकी विद् के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और ग्रेष प्रधिकारी कनिष्ठ भू-भौतिकीविद् के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे। भू-भौतिकी शाखा में 23 अधिकारियों की कुल संख्या में वर्ष में हुई कमी उस विशिष्ट वर्ष में बैंज्ञानिक (कनिष्ठ भू-भौतिकी विद्) की श्रेणी में उद्भूत रिक्तियां होंगी बगतें वैज्ञानिक ''ख'' (कनिष्ठ भू-भौतिकी विद्) की कुल संख्या 17 से अधिक नहीं हो। 23 पदों की इस कुल संख्या में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ग) वैज्ञानिक "ख" (जलोल्का विज्ञानी), वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" की श्रीणियों में पदों की कुल संख्या जलोल्का विज्ञान शाखा में कुल मिलाकर 7 होगी । जलोल्का विज्ञान शाखा में सभी 7 अधिकारी जलोल्का विज्ञानी के रूप में कुल्यकारी तीर पर अभिनियोजित किए आएगे । वर्ष में दुई केमी उस विशिष्ट वर्ष में वैज्ञानिक "ख" (जलोल्का विज्ञानी)

की श्रेणी में उद्भूत रिक्तियां होंगी। 7 पवों की इस कुल संख्या में कार्य-भार के स्नाधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

- (घ) वैज्ञानिक "ख" (रसायनज्ञ), वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" की श्रेणियों में पदों की कुल संख्या रासायनिक शाखा में कुल मिला कर 19 होगी। रासायनिक शाखा में ज्येष्ठतम वैज्ञानिक "घ", अधीक्षण रासयनज्ञ के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और रासायनिक शाखा में वैज्ञानिक "घ" और वैज्ञानिक "ग" की श्रेणियों में अगले ज्येष्ठतम 3 अधिकारी, ज्येष्ठ रसायनज्ञ के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और शेष अधिकारी रासयनज्ञ के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे। रासायनिक शाखा में 19 अधिकारियों की कुल संख्या में वर्ष में हुई कभी उस विशिष्ट वर्ष में वैज्ञानिक "ख" (रसायनज्ञ) की श्रेणी में उद्भूत रिक्तियां होंगी बगर्ते वैज्ञानिक "ख" (रसायनज्ञ) की कुल संख्या 15 से अधिक नहीं हो। 19 पदों की इस कुल संख्या में कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- (ङ) वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" की श्रेणियों में पदों की कुल संख्या जल विज्ञान शाखा में कुल मिलाकर 8 होगी। जल विज्ञान शाखा में ज्येष्ठतम वैज्ञानिक "घ" अधीक्षण जल विज्ञानी के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और शेष अधिकारी ज्येष्ठ जल विज्ञानी के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे। जल विज्ञान शाखा में 8 अधिकारियों की कुल संख्या में वर्ष में हुई कमी उस विशिष्ट वर्ष में वैज्ञानिक "ग" की श्रेणी में उद्भूत रिक्तियां होंगी वक्षतें वैज्ञानिक "ग" की कुल संख्या 7 से अधिक नहीं हो। 8 पदों की इस कुल संख्या में कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
- (4) सरकार संब लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन निथमों में अनुसूची में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी भी पद को सम्मिलित कर सकती है या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को इन नियमों में अपवींजत कर सकती है।
- (5) सरकार, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्भ करके, जिसी ऐसे अधिकारी को जिसका पद उपनियम (4) के अधीन इन नियमों में सम्मिलित है सनुचित श्रेणी में अस्थायी हैसियत से या अधिष्ठायी हैसियत से, जैसा उपयुक्त हो नियुक्त कर सकती हैं और उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता सदृश श्रेणी में निरन्तर नियमित सेवा को गणना में लेने के पश्चात नियत कर सकती हैं।
- (6) ऐसे ज्येष्ठ जल विज्ञानी का, जिसने 1-1-1988 को उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है 30, जून 1988 में बैज्ञानिक "घ" के रूप में कल्पित प्रोम्नति के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।

- निरर्हता : यह व्यक्ति——
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति में जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीविस होते हुए किसी व्यक्तियों से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पाल नहीं होगा : \

परन्तु यदि नियंद्रक प्राधिकारी का यह ममाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- 9. श्रेणियां, संख्या और उसका पूर्नावलोकन:
- (1) विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों उनकी संख्या और उनके वेतनमान वही होंगे जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।
- (2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी सरकार --
- (क) समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों में ध्यूटी पदों की संख्या में अस्थायी रूप से वृद्धि या परिवर्तन कर सकती है;
- (ख) संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके सेवा में सहबद्ध पदों (अनुसूची में सम्मिलित पदों से भिन्न) को सम्मिलित कर सकती है या अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकती है, और
- (ग) संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करके किसी अधिकारी को, उपरोक्त खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलत इयूटी पद पर समुचित श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त कर सकती है और उस श्रेणी में उसकी ज्येष्टता सदृश श्रेणी में निरन्तर नियमित सेवा को गणना में लेने के पण्चात नियत कर सकती है
- 10 ज्येष्ठता: (1) नियम 5 के अधीन सेवा के ब्रारंभिक गठन पर सर्वधित श्रेणी/संबंधित उप-काइरों में नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता ही होगी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को थी:

परन्तु यदि किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिदिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो उसकी ज्येष्ठता का अवधारण इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व मेवा के सदस्यों को यथा लागू ज्येष्ठता नियत करने वाले नियमों के आधार पर किया जाएगा।

(2) प्रारंभिक गठन के पश्चात सेवा में भर्ती किए मण् स्यक्तियों की ज्येष्टना का अवधारण इस विषय में सरकार द्वारा समय-समय पर जारो किए गए नाधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुमार किया जाएगा।

- (3) ऐसे मामलों में, जो उप-नियम (1) और (2) में नहीं आते हैं, ज्येष्टता का अवधारण आयोग से परामर्ज करके सरकार द्वारा किया जाएगा।
- 11. परिवीक्षा: (1) सीधी भर्ती द्वारा या प्रोस्नति द्वारा सेवा के कनिष्ठ काल—जेतनमान में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की अविध तक परिवीक्षा पर रहेगा।

परन्तु नियंत्रक, प्राधिकारी, सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार परिमीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि बकाने का विनिश्चय प्रारंभिक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात तुरन्त और साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर इसकी संसूचना और ऐसा करने के कारण लिखित बताए जाएंगे।

- (2) परिवीक्षा की अविध या उसके विस्तार को अविध की समाप्ति पर अधिकारियों को, यदि उन्हें स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य समझा जाता है तो उन्हें सरकार के आदेशों के निबंधनों पर पद पर पुष्ट कर दिया जाएगा।
- (3) यदि, यथास्थिति परिवीक्षा की अविधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार की यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है तो सरकार उस अधिकारी को यथास्थिति सेवा मे मुक्त कर मकती है या मेवा में नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारण किए हुए पद पर प्रतिवित्ति कर सकती है।
- (4) परिवीक्षा की अविध या उसके किसी विस्तार के दौरान अधिकारी से सरकार द्वारा यह अपक्षा को जा सकती है कि वे प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम पूरे करें और ऐसी परीक्षा और परीक्षण (जिसके अन्तर्गत हिन्दी परीक्षा भी है) पूरे करें जो सरकार परिवीक्षा के समाधानप्रद क्ष्य में पूरा करने की गर्त के रूप में ठीक सममती है।
- (5) परिवीक्षा सं सर्विधित अन्य मामलों के संबंध में सेवा के सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों से शासित होंगे।
- 12. सेवा में नियुक्ति:—किभिन्न श्रेणियों में पद पर सभी नियुक्तियां नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की अर्एगी।
- 13. भारत के किसी फसी भागमें सेवा करने के लिए वायित्व और सेवा की अन्य शर्ते :---
- (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने या बाहर सेवा करने के दायित्वाधीन होगा।
- (2) सदस्यों की सेवा से संबंधित मामलों की अन्य ऐसी गर्ते जिनका उपबंध इन नियमों में नहीं किया गर्या है नहीं होनी जो साधारण रूप में केन्द्रीन सिविश सेवा के समूह 'क' अधिकारियों के लिए समर्य-समय पर गार्ग है।

- 14. शिथिल करने की शक्ति: जहां नियंत्रक प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समिजीन है धहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबढ़ करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी बर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेण डारा जिथिल कर सकेगा।
- 15. व्यावृत्तिः—इम नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयू-सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं हालेगी। जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।
- 16. निर्वचन:—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिज्जय आयोग से परामर्ज करके सरकार द्वारा किया जाएगा।

- 17. निरसन:—निम्नलिखित भर्ती नियम जहां तिक उनका संबंध इन नियमों की अनुसूची में सम्मिलित पद्यों से है निरमित किए जाते है:—
 - (1) गवेषणा नलकृप संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 मेवा) भर्ती नियम, 1963
 - (2) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अधीक्षण जल विज्ञानी) भर्ती नियम, 1980
 - (3) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (वैज्ञानिक समृह "क" पद भर्ती नियम, 1987

परन्तु ऐसे निरसन का प्रभाव ऐसे निरसन में पहले की गई या करने से लोग की गई किसी बास पर नहीं पड़ेगा।

त्रनुसूची

पद्धकानाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पर्ध ग्रथवा श्रन्थयन पर्द	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियो के लिए श्रायु-सीमा	मेवा में जोड़े गए वर्षी का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के ग्रधीन ग्रनज्ञेय है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
1. वैज्ञानिक ''ध''	नियम 7 के उपनियम (3) ध्रौर (4) में यथा विनिर्दिष्ट	साधारण केंद्रीय सेका, समूह ''क'' राजपत्नित श्रननृसचि- बीय वैज्ञानिक श्रीर तकनीकी)	3700- 125- 1700± 150- 5000 ₹.	चंयन	50 वर्ष में अधिक नहीं (केन्द्रीय मरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या स्रादेशों के श्रनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)।	

टिप्पणी: — आय सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्याथियों में श्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई श्रंतिम तारीख होगी। (न कि वह श्रंतिम तारीख जो श्रमभ, मेघालय, श्रुरुणाचल प्रदेश, मिओरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल भीर स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, श्रंडमान श्रीर निकाबार द्वीप या लक्षदीप के श्रभ्याथियों के लिए विहिन की गई है)। सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित णक्षिक ग्रीर ग्रन्य प्रहेलाएं। सीघं भर्ती किए जाने वाले स्मिन्तमों के लिए/विहित स्नामु स्रीर मैक्षिक स्नर्हताएं प्रोन्सल स्यक्तिमों की देशा में लागू होगी या नहीं। परि<mark>योक्ता की ग्र</mark>वधि, यदि कोई हो।

(8)

(9)

(10)

ग्रावण्यकः :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान की प्रपेक्षित विद्याशाखा में मास्टर डिग्री या सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुरुय ।
- (ii) उस सुसंगत क्षेत्र में श्रनुसंधान या अध्यापन फील्ड कार्य में दस वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी: यह विभिष्ट विद्याशाखा जिसमें शैक्षिक ग्रर्हता ग्रौर वह क्षेत्र जिसमें श्रनुभव ग्रेपेक्षित है, प्रत्यक सीधी भर्ती के समय श्रपेक्षा के श्रनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पणी-1 ग्रर्हताएं ग्रन्यथा सुग्रहित ग्रश्यिषयों की दशा में संघ तोक सेवा ग्रायोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पणी-2 श्रनुभव संबंधी श्रर्हता (श्रर्हताएं) संघ लोक सेवा ग्रायोग के विवेका-लूसार श्रनुसूचित जनजातियों के श्रभ्यधियों की दणा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब जयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा श्रायोग की यह राथ है कि उनके लिए श्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए श्रपेक्षित श्रनुभव रखने वाले उन समुदायों के श्रभ्यथियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

वाष्ट्रनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सुमंगत विषय मे डावटरेट डिग्री या समतुल्य । ग्रायः नहीं

सीधे भर्ती किए जाने

शैक्षिक अर्हताएँ : हां

बाले ध्यक्तियों के लिए एक वर्ष।

भर्ती की पद्धित: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रति-नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतका। प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की वशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा।

(11)

(12)

प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांनरण (जिसके प्रंतर्गत ग्रन्य-कालिक संविदा भी है)/सीधी भर्ती हारा/(किसी भी नियत समय पर भर्ती की विणिष्ट पद्धति का विनिष्वय सरकार द्वारा विणिष्ट पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं श्रीर श्रनुभव की ग्रीर उस पद के लिए अपेक्षित कार्य की श्र्यान में रखते हुए ग्रायोग से परामर्थ करके किया जाएगा)। प्रोन्नित : ऐसे वैज्ञानिक ''ग'' जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरणः — (जिसके ग्रन्तर्गत ग्रन्पकालिक मंबिदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयो/मान्यता प्राप्त श्रनुसंधान संस्थायों /पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/ग्रर्द्ध सरकारी/ कानुनी या स्वणासी संगठनों के श्रधीन ऐसे श्रिकारी:

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदश पद धारण किए हुए हैं, या

(12)

- (ii) जिन्होंने 3000-5000 रु. या समसुख्य वैसनमान बाले पक्षे पर चार वर्ष नियमिन सेवा की है: या
- (iii) जिन्होंने 3000-450**6** र. या समतुब्**व वेतनमान** वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और
- (ख) जितके पास स्तंभ (8) के श्रधीन सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्तियों के लिए बिहित गैक्षिक श्रहेता घोर श्रमुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय श्रिष्ठिकारी, जो प्रोन्निति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनिधिक्त पर निधुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान्न नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनिधुक्त क्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए, विचार किए जाने के पान्न नहीं होंगे (प्रतिनिधुक्ति की श्रवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी श्रन्य संगठन/विभाग में इस निधुक्ति से ठीक पहले धारित किसी श्रन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनिधुक्ति की श्रवधि है, साधारण-तया चार वर्ष मे श्रिक्त नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए ध्रिधिक-तम श्रायु सीमा ध्रावेदन प्राप्त करने की ग्रंतिम तारीख को 56 वर्ष से श्रक्षिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा ग्रायोग ने परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

मुख्याकन बोर्ड (प्रोन्निति के सबंध में विचार करने के लिए) :

- ग्रध्यक्ष/मदस्य, संघ लोक सेवा श्रायोग्--ग्रध्यक्ष
- 2. श्रपर सचिव/संयुक्त सचिव/श्रायुक्त, जल संसाधन मंत्रालय--- सवस्य
- ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड—सदस्य
- ग्रायोग द्वारा नामनिर्देशित दो या भ्रधिक विशेषज्ञ—सदस्य

टिप्पणी : 1. अध्यक्ष में भिन्न किमी सदम्य की अनुपस्थिति बोर्ड की कार्यवाहियां निर्प् प्रभावित रहेंगी !

टिप्पणी : 2. बोर्ड की कार्यवाहियां श्रायोग के श्रनुमोदन के श्रध्यधीन होंगी।

टिप्पणी : 3. वह तारीख जिसमें बोर्ड की सिफारिश प्रभावी होगी श्रायोग से परामर्श करके विनिश्चित की जाएगी।

समृह ''क'' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

- 1. श्रपर मचिव, जन संसाधन मंत्रालय-श्रध्यक्ष
- संयुक्त सचिव/ग्रायुक्त, जल संसाधन मंत्रालय—सदम्य

चयन, प्रत्येक श्रवसर पर संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्थ करके किया जाएगा।

1587 GI/95--3

(13)

3. ग्राध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड-सदस्य

टिप्पणी : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नित समिति की कार्यवाहियां, आयोग के मनू-मोदनार्य मजी जाएगी । किन्तु, यदि झायोग उनका झनुमोदन नहीं करता है तों विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा भागोग के अध्यक्ष वा किसी सबस्य की श्रध्यक्षता में फिर से होगी।

(1)	(2.)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. वैज्ञानिक ''ग''	नियम 7 के उपनियम (3) भ्रीर (4) में यचा विनिर्दिष्ट	साधारण केंद्रीय सेवा, समृह "क", राजपन्नित, (धननुसचिवीय मैज्ञानिक धौर तकनीकी)।	3000- 100- 3500- 125- 4500 年。	चसम	40 वर्ष से प्रधिक महीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए) अनुदेशों या प्रादेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक जिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी: प्रायु सीमा प्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में प्रथ्य थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई प्रतिम तारीख होगी)। (न कि वह प्रतिम तारीख जो श्रसम, मेथालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्म- कण्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, ग्रंडमाम प्रतेर निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अध्यथियों के लिए विश्वित की गई है)।	ह्य ह्य

जल विज्ञान विद्या शाखा के लिए

भावश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान या जलविज्ञान में मास्टर क्षिप्री या सिविल इंजीनियरी में डिप्री या समत्ह्य ।

(8)

(ii) जलविज्ञान में पांच वर्ष का व्यावसारिक ग्रन्भव जो प्रधिमानतः भूमिगत जल विज्ञान में हो।

धन्य विद्या शाखा के लिए आवश्यक:

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान की अपेक्षित विद्यामाखा में मास्टर डिग्री या समतुख्य;
- (ii) उस मुसंगत क्षेत्र में धनुसधान/ध्रध्यापन, फील्ड कार्थ में पांच वर्ष का धनुभव ।

टिप्पणी : --विशिष्ट विद्याशाखा जिसमें शैक्षिक धर्हता भौर वह क्षेत्र जिसमें भनु-भव अपेक्षित है, प्रस्येक भर्ती के समय अपेक्षा के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(9)

(10)

मायु : महीं गैक्षिक प्रहेताए: हॉ

मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्तत ग्राध-कारियों के लिए एक वर्ष।

(8)

टिप्पण-1 अर्हताएं अत्यथा सुअद्वित अभ्यापयों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा मकती है।

टिप्पण-2 अनुभव संबंधी प्रहेंता (घहैताएं) संघ लोक संवा भागोग के विवेकानुसार भनुसूचित जातियों श्रीर अनुसूचित जनजातियों के अभ्यायियों की
दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम
पर संघ लोक मेवा ग्रायोग की यह राय है कि उनके लिए धारिक्षत
रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित भनुभव रखने वाले उन समुदायों
के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

विश्वविद्यासय से सुसगत विदय में डाक्टरेट डिग्नी या समसुत्य ।

(जसविकान विचाशाचा के लिए)

भृभिगत जल खोज में उपयोग में लाए जाने वाली विभिन्न पद्धतियों का झन् भव ।

(11)

(12)

जलविज्ञान शाखा के लिए :

- (६) 50 प्रतिशत प्रोत्नित द्वारा जिसके म हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
- (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
 प्रत्य विद्याशाखा के लिए:
 प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके धन्तर्गत प्रत्य-कालिक संविदा भी है)
 सीधी भर्ती द्वारा (किसी भी नियत समय पर भर्ती की विणिष्ट
 पद्धति का विनिश्चय सरकार द्वारा विशिष्ट पद के लिए प्रपेक्षित
 प्रदेताओं की और उस पद के लिए धपेक्षित कार्य की ध्यान में

रखते हुए छायोग मे परामन फरके किया जाएगा।

जलविशान भाखा के लिए ;

प्रोन्नित: ऐसे कनिष्ठ जल-विज्ञानी जिन्होंने इस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित भाधार पर भाठ वर्ष सेवा की है।

भन्य विद्याशाखा के लिए :

प्रोन्नित: ऐसे वैज्ञानिक समूह 'ख'' जिन्होंने उस श्रेणी में पाच वर्ष मियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

(जिसके श्रन्तर्गत भ्रत्मकालिक संविदा भी है) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त भ्रतुसंधान मंस्याग्रों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कानूमी या स्व-णासी संगठनों के श्रधीन ऐसे भ्रधिकारी: ——

- (गः) (i) त्रो नियमित ग्राधार पर सदृण पद ग्रारण किए हुए हैं; या
 - (ii) जिन्होंने 2200-4000 र. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या
 - (iii) जिन्होंने 2000-3500 र. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर घाठ वर्ष नियमित सेवा की है; ग्रीर
- (ख) जिनके पास स्तभ (8) के मधीन सीधे भर्ती किए जाते बाते ध्यक्तियों के लिए विद्वित शैक्षिक मईताएं भौर सनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विमानीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाझ नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रति-नियुक्त व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाझ नहीं होंगे)।

(12)

(प्रतिनियम्ति की श्रविध, जिसके श्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी श्रन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी श्रन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की श्रविध है, साधारणतया तीन वर्ष से श्रिधक नहीं होगी)।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, नियुक्ति के लिए ग्राधकतम भाषु-सीमा श्रावेषन प्राप्त करने की श्रतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

(14)

विशागीय प्रोस्तित समिति (जलविज्ञान गान्या में प्रोत्तित के लिए)

- 1. ग्रध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा झायांग-अध्यक्ष
- 2. भ्रपर सिषव/संयुक्त सन्विव/ब्रायुक्त, जल संसाधन मंद्रालय—सदस्य
- ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य

ब्रन्य विद्याशास्त्रा के लिए :

(मूख्याकन बोई)

- 1. घध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा ब्रायोग--प्रध्यक्ष
- 2. श्रपर सचिव/संयुक्त सचिव/श्रायुक्त, जल संसाधन मंत्रालय---सदस्य
- 3. श्रध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय----सदस्य
- मुख्य जलभ्विक्षान, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय — सबस्य
- 5. भायोग द्वारा नामनिर्देशित दो या श्रधिक विशेषज्ञ-सदस्य

टिप्पण: 1. प्रध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की श्रनुपस्थिति बोर्ड की कार्यवाहियों को निष्प्रभावित रहेगी।

टिप्पण: 2. बोर्ड की कार्यवाहियां अध्योग के अनुमोदन के अध्यक्षीन होंगी।

टिप्पण : 3. वह तारीख जिसमें बोर्ड की सिफारिश प्रभावी होगी श्रांयोग के परामर्ण से विनिश्चित की जाएगी।

सभी विद्याणाखा के लिए:

समूह "क" विभागीय प्रोन्तित समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

ग्रपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय---ग्रध्यक्ष

चयन, प्रत्येक भवसर पर संघ लोक सेवा भ्रायोग से परामर्ग करके किया जाएगा। (13)

- 2. संयुक्त सिवव/ग्रागुक्त, जल संसाधन मंत्रालय---नवस्य
- 3. ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य

टिप्पणी: —पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्तित समिति की कार्यवाहियां, श्रायोग के श्रनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि श्रायोग उनका श्रनुमोदन नही करसा है तो विभागीय प्रोन्नित समिति की बैठक संघ लोक सेवा श्रायोग के श्रध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. বীয়ানিক "অ'' (কনিচ্চ जল-মূ- বিশ্লানী)	नियम 7 के उपनियम (3) श्रीर (4) में यथा विनिधिट्ट	•	2200-75- 2800-द रो100- 4000 ह.	चयम	35 वर्ष से श्रीधक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए श्रनु- देशों या श्रादेशों के श्रनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिब्बिल की जा सकती है।)	नही
					टिप्पणी: स्रायु सीमा श्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में श्रम्य- धियों से श्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई श्रांतिम तारीख होगी (न कि वह मंतिम तारीख जो असम, मेघालय, श्रदणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिनिकम, जम्मू- कथ्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा । जले के पांगी उपखंड, श्रंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के श्रम्य थियों के लिए विहित की गई है)।	

(1) भू-विश्वानी परीक्षा परिणाम के ब्राधार पर सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से भू-विज्ञान या ब्रनुत्रयुक्त भू-विज्ञान में मास्टर डिग्नी या समसुल्य या कोई घन्य श्रर्हताएं, जिसका स्तर संघ लोक सेवा धायोग की राय में भू-विज्ञानी की परीक्षा में किसी प्रभ्यर्थी के प्रवेश को न्यायोजित ठहराता है।

श्रायु : नहीं गैक्षिक ग्रहेताएं : हां

(9)

को वर्ष

(10)

(2) साक्षात्कार द्वारा चयन के ग्राधार पर सीधी भर्ती के लिए :

(8)

श्रावस्यक:

 (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय मे भू-विज्ञान या श्रनुप्रयुक्त भू-विज्ञान मे नास्टर डिग्नी वा समग्रुख्य । (8)

(ख) जलभ्तस्त्रीय भ्यत्वीय ग्रन्मेवणों में तीम वर्ष का ग्रम्भव।

गांभागीय:

भूमिगत जल सर्वेक्षण और नमूना लेने, बोर छिद्र श्रांकड़े का निबंचन और स्वतंत्र रूप से भूतत्वीय मानचित्र नैयार करने का श्रन्थव।

टिप्पणी: 1-- ब्रहैताएं अन्यथा सुधर्ित प्रभ्यांशयों की दशा में संग लोक सेवा ब्रामोग के विवेका-नुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पणी: 2. अनुभव संबंधी आईता (आईताएं) संघ लोक सेवा घायोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनज तियों के अध्यवियों की दशा में तब शिधिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा घायोग की यष्ट्र राय है कि उनके लिए घारिक्षत रिक्तियों को भरने के लिए घपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यवियों के प्रयुक्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(11)

(12)

- (1) 50 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रांत-नियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके प्रस्तगैत प्रत्य-कालिक संविदा भी है) थ्रौर दोनो के न हो सकने पर मीधी भर्ती द्वारा।
- (2) 30 प्रतिशत संघ लोक सेवा भ्रायोग द्वारा संचालित भू-विभानी परीक्षा के परिणाम के भ्राधार पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर साक्षास्कार द्वारा चयम के आधार पर।

ऐसे सहायक जल भू-विज्ञानी जिन्होंने उस श्रेणी में जीन वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्सरण: (जिसके श्रन्सर्यंत प्रल्पकाक्तिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्ब सरकारी/कानूनी या स्थणासी संगठनों के प्रधीन ऐसे प्रधिकारी : ---

- (क) (1) जो नियमित ब्राधार पर सकुम पद धारण किए हुए हैं, या
 - (·2) जिन्होंने 2000-3500 र. या समतुल्य वेतनमान बाले पद्यों पर तीन वर्ष नियमित मेवा की है, धौर
- (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के ब्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ब्रधिकथित णैक्षिक ब्रह्मताएं बौर अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय श्रधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ष्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पाल नहीं होंगे।

इसी प्रकार प्रतिनिथुक्ति व्यक्ति प्रोन्निति द्वारा निथुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की श्रविध, जिसके प्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी श्रन्य संगठन/विभाग के इस नियुक्ति से ठीक, पहले धारित किसी श्रन्य काडर-बाह्य पद पर प्रति-नियुक्ति की श्रविध साधारणतया तीन वर्ष से श्रिधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए प्रधिक-तम ग्रायु-सीमा श्रावेधन र्प्याप्त करने की ग्रंतिम तारीख को 56 वर्ष से ग्रधिक नेहीं होगी।

(13)

(14)

समूड् "क" विभागीय प्रोस्तिति समिति) प्रोन्तिन के संबंध में विचार करने के लिए) : चयम, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया आयोग।

- 1. ध्रध्यक्ष (सदस्य, संच लोक सेवा भ्रायोग---ग्रध्यक्ष
- 2. ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संमाधन---सदस्य मंत्रालय
- 3. मुख्य जल भू-विज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल---सदस्य संसाधन मंत्रालय

समृद्ध "क" विभागीय प्रोन्निति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

- प्रध्यक्ष, केन्द्रीय मृमि जल घोर्ड, जल मंसाधन--- प्रध्यक्ष मंद्रालय
- मुख्य जल भू-विज्ञानी, केन्द्रीय भृमि जल बोर्ड, जल---सदस्य संनाधन मंत्रालय
- 3. उप मिवव, जन संसाधन महालय---मदस्य

टिप्पणी: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्निति समिति की कार्य-वाहियां, भ्रायोग के भ्रनुसोदनार्थ भेजी जाएंगी। किंतु, यदि भ्रायोग उनका भ्रनुसोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रौन्निति समिति की बैठक संघ लोक सेवा श्रायोग के भ्रध्यक्ष या किसी सदस्य की श्रध्यक्षता में किर से होगी।

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

वैज्ञामिक नियम 7 के
 "स्व" उपनियम (3)
 (कनिच्छ भू- और (4) में
 भौतिकीविष्) यथा विनिर्विष्ट

माधारण केन्द्रीय 2200-75-2800 चयन मेंबा समूह "क" द.रो.-100-राजपत्रित (श्रमनु- 4000 र. सिंखभीय वैज्ञा-मिक और मक-

35 वर्षों से प्रधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए धन्देशों या आदेशों के धनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। नही

टिप्पण:—ग्रायु-सीमा श्रव-धारिन करने के लिए नि-गायक तारीख भीरत में श्रम्याययों में श्रावेधन श्रम्य करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।) न कि वह अंतिम तारीख जो धसम, मेधालय, श्रक्णाचल प्रवेण, मिजोरम,

(6) (7)

नागालींड, सिक्किम, जिम्मूकण्मीर राज्य के सहास्य
खंड, हिमाचल प्रदेश के
लाहोल और सपीति जिले
तथा चम्बा जिले के पांगी
उपखंड, अंडमान और
निकोबार द्वीप या लक्षडीप के अभ्यायियों के
लिए विश्वित की गई है)।

(8)

(9)

(10)

ग्रावस्थक :

श्रायु : नहीं

मैक्षिक ग्रह ताएं : हां

दो वर्ष।

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान/प्रनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान/ रेडियो भौतिक विज्ञान और इलैक्प्रो-निकी/भू-भौतिकी/प्रनुप्रयुक्त भू-भौतिकी/ भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री या सम-तृत्य ।
- (ii) भू-भौतिकी यंत्रीकरण के इलैक्ट्रोनिकी पहलुओं में अनुसंधान और/मा व्यावहारिक अनुभव और ऐसे यंद्रों की मरम्मत में तीन वर्ष का अनुभव ।

या

विशिष्ट रूप से भूमिगत जल के प्रति-निर्वेश से भू-भौतिकीय सर्वेक्षण के बास्तिविक संचालन और निर्वाचन में तीन वर्ष का ग्रन्भव।

- टिप्पण :--- 1. ऐसे किसी अभ्यर्थी, जिसके पास भू-विज्ञान या अनुप्रयक्त भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री है, उसके पास किसी मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान की बैचलर डिग्री परीक्षा या समसुल्य परीक्षा में भौतिक विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो।
- टिप्पण :--- 2. भर्ती करने समय प्रध्येक ग्रवसर पर शैक्षिक अहँतआं (ii) के श्रधीन अपेक्षित विनिधिष्ट श्रन्भव को उपविणित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण :-- 1. अर्हताएं अन्यथा मुझिह्त अभ्यवियों की दशा में संघ लोक मेंना ग्रायोग क विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
- टिप्पण :---2. श्रनुभव संबंधी श्रर्हता (श्रहेंताएं) संघ लोक सेवा श्रायोग के विवेकानुसार श्रनुसूचित जातियों या श्रनुसूचित जन-जातियों के श्रम्यियों की दक्षा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा श्रायोग की यह राय है कि उनके लिए श्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए श्रपेक्षित श्रनुभव रखने वाशे उन समुद्यायों के श्रभ्यियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(11)

(12)

- (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकते पर प्रति-नियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके प्रन्तगंत श्रुज्यका-कालिक मंत्रिदा भी है) और दोतों के न हो सकते पर सीधी भर्ती द्वारा ।
- (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति :

्रें सं ज्येष्ठ तकनीकी महासक (भू-भौतिकी) जिल्होंने उस श्रे<mark>णी</mark> में पांच वर्ष नियक्षित हों<mark>वा की है ।</mark> प्रतिनियुक्ति पर स्थानातरण :

(जिसके श्रन्तर्गत श्रत्पकालिक संविदा भी है)

- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त श्रनु संधान सम्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/ग्रर्द्ध सरकारी/कानूनी या स्वणासी संगठनों के श्रधीन ऐसे श्रधिकारी:——
- (क) (i) जो नियमित स्राधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या
 - (ii) जिन्होंने 2000---3500 रु. या समसुत्य वेतन-मान वाले पदों पर तीन वर्षे नियमित सेवा की है ; ऑर
- (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के ग्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रधिकथित शैक्षिक ग्रर्हताएं और श्रनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पास नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पास नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की श्रवधि, जिसके श्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी श्रन्य काडर-बाह् य पद पर प्रतिनियुक्ति की श्रवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)। प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा भ्रावेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष में अधिक नहीं होगी।

(13)

(14)

समूह "क', विभागीय प्रोप्तित समिति (प्रोन्निति के संबंध में विचार करने के लिए) चयन, प्रत्येक श्रवसरपर संघ लोक मेवा श्रायोग मे परामर्श करके किया जाएगा ।

- 1. श्रध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेंवा श्रायोग--श्रध्यक्ष
- मृख्य जल भू-विज्ञानी, केन्द्रीय भृमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय---सदस्य

1.5

14

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

- 2. मुख्य जल भू-विज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय---सदस्य
- 3. उप सिचव, जल संसाधन मंत्रालय--सदस्य

टिप्पण: — पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्य-वाहियां, ग्रायोग के ग्रनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि ग्रायोग उनका ग्रनुमोदन नहीं करता है तो विभा-गीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा ग्रायोग के ग्रध्यक्ष या किसी सदस्य की ग्रध्यक्षता में फिर से होगी।

1 2 3 4 5 6 7

वैज्ञानिक नियम 7 के
 "ख" उपनियम (3)
 (रसायनज्ञ) भ्रौर (4) में
 यथा विनिर्विष्ट

साधारण केन्द्रीय 2200-75-2800 चयन सेवा समूह "क" द.रो.-100-राजपन्नित (ग्रननु- 4000 र. सचिवीय वैज्ञा-निक ग्रीर तक-नीकी)

35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए श्रनुदेशों या श्रादेशों के श्रनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। नहीं

टिप्पण:--भ्रायु-सीमा ग्रव-धारित करने के लिए नि-र्णायक तारीख भारत में श्रभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।) न कि वह भ्रंतिम तारीख जो प्रसम, मेघालय, ग्ररू-णाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपूर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल धौर स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान श्रौर निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के श्रम्य-थियों के लिए विहित की गई है)।

٤

10

धावश्यक :

भ्रायु : नहीं

षो वर्ष

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या समसुल्य ।
- (ii) पानी के नमृते के रासायनिक विश्लेषण करने और सुसंगत श्रांकड़े के निर्वचन में तीन वर्ष का श्रन्भव ।
- टिप्पण 1. ब्राईताएं भ्रन्यया सुर्फ्याहित श्रभ्य-थियों की दशा में सघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।
- टिप्पण 2. धनुभव संबंधी ध्रहेता (ध्रहेताएं)
 संघ लोक सेवा ध्रायोग के विवेकानुसार ध्रनुसूचित जातियों या
 ध्रनुसूचित जनजातियों के ध्रभ्यांथयों की दशा में तब शिथिल की
 जा सकती हैं (हैं) जब चयन के
 किसी प्रक्रम पर सघ लोक सेवा
 ध्रायोग की यह राय है कि उनके
 लिए ध्रारिक्षत रिक्तियों को भरने
 के लिए ध्रारिक्षत ध्रनुभव रखने
 वाले उन समुद्यायों के ध्रभ्यांथियों
 के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने
 की सम्भावना नहीं है।

गैक्षिक प्रहेताएं : हां

11

12

- (i) 50 प्रतिमत प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रति-नियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके प्रन्तर्गत ग्रल्प-कालिक संविदा भी है ग्रीर दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
- (ii) 50 प्रतिणत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोप्तति:

ऐसे सहायक रसायन जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

(जिसके भ्रन्तर्गत भ्रत्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त मनु सधान संस्थाभ्रों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/श्रादि सरकारों/ कानृती या स्वशासी संगठनों के भ्रधीन ऐसे श्रधिकारी:

- (क) (i) जो नियमित ग्राधार पर सवृश पद धारण किए हुए हैं या
 - (ii) जिन्होंने 2000--3500 रु. या समतुल्य बेतनमान वाले पक्षों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, श्रीर

- (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के श्रधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रधिकथित गैक्षिक अर्हताएं ग्रौर ग्रनभव है।
- (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय श्रधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए त्रिचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा निय्क्ति के लिए विचार किए जाने के पाव नहीं होंगे)।
- (प्रतिनियुक्ति की ग्रवधि, जिसके ग्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है। साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)
- प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए प्रधिकतम भ्रायु सीमा भ्रावेदन प्राप्त करने की श्रंतिम तारीख की 56 वर्ष से ग्राधिक नहीं होगी)।

13

14

समृह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्निति के संबंध में विचार करने के लिए):

- 1. ग्रध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा श्रायोग---अध्यक्ष
- 2. ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मन्नालय --सदस्य
- 3. मुख्य जलभू विज्ञानी, केन्द्रीय भृमि जलबोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय-- सदस्य

समृह "क" विभागीय प्रोन्निति समिति (पृष्टि के संबंध में विचार भरने के लिए):

- 1. ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल समाधन मन्नालय
- 2. मुख्य जल भृविज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय--सदस्य
- 3. उप मचिव, जल संसाधन मंत्रालय---सदस्य

टिप्पण:---पृष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्य-वाहियां, श्रायोग के श्रनुमोदनार्थ भेजी जाएगी । किन्तू, यदि श्रायोग उनका श्रनुमोदन नहीं करता है तो विभा-गीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा ग्रायोग के प्रध्यक्ष या किसी सदस्य की प्रध्यक्षता में फिर से होगी।

चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. वैज्ञानिक ''ख'' (जलोल्का- विज्ञानी)	नियम 7 के उप- नियम (3) ग्रौर (4) में यथा- विनिर्विष्ट	साधारण केन्द्रीय मेवा समृह "क" राजपत्नित (ग्रननु- सचित्रीय वैज्ञा- निक ग्रौर तक- नीकी)	2200-75-2800- द.रो100- 4000 ह.	चयन	35 वर्ष सं श्रधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए श्रनुदेशों या श्रीदेशों के श्रनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं।) िटप्पण:—श्रापु-सीमा अवधारित करने के लिए निण्णियक तारीख भारत में अभ्यियों से श्रावेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई श्रंतिम तारीख होगी।) न कि वह श्रंतिम तारीख होगी।) न कि वह श्रंतिम तारीख जो असम, मेघालय, ग्रह्णाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लहाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल श्रौर स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड श्रंडमान श्रौर निकीबार द्वीप या लक्षद्वीप के श्रभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	नहीं

 $(8) \qquad (9)$

श्रावश्यक :

 (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री या समतुत्य ।

(ii) जलोल्का-विज्ञान कार्य में तीन वर्ष का श्रनुसंधान श्रनुभव ।

टिप्पणः—शैक्षिक अर्हताएं श्रौर श्रनुभव का क्षेत्र, कार्य, भर्ती के समय श्रपेक्षा के श्रनुमार बिनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पण 1:-- श्रर्हताएं प्रन्यथा सुप्रहित प्रभ्य-र्षियों की दशा में संघ लोक सेवा स्रायोग के विवकानुसार शिथिल की जा सकती है। म्रायु: नहीं

गैक्षिक ग्रह्ताएं : हां

दो वर्ष

(8)

टिप्पण 2 :— अनुभव संबंधी आईता (आईताएं)
संघ लोक सेवा आयोग के
विवेकानुसार अनुसूचित जातियों
या अनुसूचित जनजातियों के
अध्यिषियों की दशा में तब
गिथिल की जा सकती है (हैं)
जब चयन के किसी प्रक्रम पर
संघ लोक सेवा आयोग की यह
राय है कि उनके लिए आरक्षित
रिक्तियों को भरने के लिए
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन
समुदायों के अध्यिषयों के पर्याप्त
संख्या में उपलब्ध होने की
संभावना नहीं है।

(11)

(12)

- (i) 50 प्रतिणत प्रोन्निति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रति-नियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके धन्तर्गत अल्प-कालिक संविदा भी है) भौर दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
- (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोप्तति:

ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जलोल्का-विज्ञान) जिन्होंने उस श्रेणी के पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरणः

(जिसके भ्रन्तर्गत भ्रत्यकालिक संविदा भी है)

- केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त स्ननु-रांप्रान संस्थास्रों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/सर्द्ध सरकारी/कानृनी या राज्यासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :---
- (क) (ा) जो ि ाभित श्राधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
 - (ii) जिन्होंने 2000—3500 रु. या समतुल्य वैक्षनमान वाले पदों परतीन वर्ष नियमित सेवा की है, श्रीर
- (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के म्राधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रधिकथित गैक्षिक ग्रर्हताएं ग्रौर ग्रनुभव हैं।
- (पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पान्न नहीं होंगे)।
- (प्रतिनियुक्ति की भ्रविधि, जिसके भ्रन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी भ्रन्य संगठन/विभाग के इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी भ्रन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की भ्रविधि है साधारणतया तीन वर्ष से भ्रधिक नहीं होगी।)
- प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए प्रधिकतम भ्रायु सीमा भ्रावेदन प्राप्त करने की भ्रांतिम तारीख को 56 वर्ष से भ्राधिक नहीं होगी।

(13)

(14)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

- 1. ग्रध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा ग्रायोग---ग्रध्यक्ष
- 2. म्रध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय ——सदस्य
- मुख्य जल भू=विज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जन बोर्ड, जल संसाधन मंत्रासय—सदस्य

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

- 1. ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय----- प्रध्यक्ष
- 2. मुख्य जल भूविज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन महालय---सदस्य
- 3. उप सचिव, जल संसाधन मंद्रालय--मदस्य

टिप्पण:—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोक्षति समिति की कार्य-वाहियां, ग्रायोग के ग्रनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी । किन्तु, यदि श्रायोग उनका श्रनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा श्रायोग के श्रध्यक्ष या किसी सदस्य की ग्रध्यक्षता में फिर से होगी। भारत, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा श्रायोग से परामर्थ करके िऽया जाएगा ।

> [फाइल सं. 21/6/91-जी डब्ब्य्] राजन्त्र मिश्र, उप सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 28th June, 1995

G.S.R. 333.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' Scientific posts in the Central Ground Water Board, namely:—

- 1. Short-title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Scientific Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Definitions—In these rules unless, the context otherwise requires,—
 - (a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

- (b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Water Resources;
- (c) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted to consider promotion confirmation in any grade;
- (d) "Government" means the Government of India in the Ministry of Water Resources;
- (e) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules.
- (f) "Regular Service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under these rules and includes any period or periods—
 - (i) taken into account for the purpose of seniority in the case of those appointment at the initial constitution of the service;

- (iii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;
- (g) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;
- 3. Application,—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule.
- 4. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall, save as provided in rule 7, be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.
- 5. Initial constitution—(1) All Group 'A' officers working in the Central Ground Water Board on a regular basis on the date of commencement of these rules, and holding the posts specified in column 1 of the Table carrying the scales of pay specified in corresponding entries in column 2 of the said Table, shall be redesignated as specified in the corresponding entries in column 3 thereto and shall be deemed to have been appointed at the initial constitution to the said posts.

TABLE

Name of the post	Scale of pay	Designation of the new posts
1	2	3
1. Director, Superintending Chemist, Superintending Geophysicist, Superintending Hydrologist.	Rs. 3700-125-4700- 150-500°/	- Scientist'D'
 Senior Hydrogeoloist, Senior Geophysicist, Senior Chemist, Senior Hydrolosit. 	Rs. 3000-100-0500- 125-4580/	- Scientist'C'
3. Junior Hydrogeolosit, Junior Geophysicist, Chemist, Hydro/meteorologis	Rs. 2200-75-2800- EB-100-4000/	Scientist'B'

- (2) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1), prior to their appointment to the newly designated posts of Scientist 'B', Scientist 'C' and Scientist 'D', shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion confirmation and pension.
- 6. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule.

- 7. Future maintenance.—(1) The assessment Board as specified in the Schedule to the various posts shall meet at least once a year and shall consider the cases of all departmental officers, who have rendered the requisite qualifying service in the respective grade on the 1st January of the year following the year to which the departmental officers have become eligible for in situ promotion wherever applicable, to assess their suitability for promotion to the next higher grade.
- (2) The system of flexible complementing and "in situ" promotions shall be followed in the matter of promotion of departmental officers in the grades of Scientist 'B', Scientist 'C' and Scientist 'D' to the respective higher grades, namely, Scientist 'C' and Scientist 'D' subject to the following conditions, namely:—
 - (a) The total number of officers taken together shall not exceed the total number of posts in the grades of Scientist 'B', Scientist 'C' and Scientist 'D' at any given point of time but there shall be complete flexibility in the number of posts in relation to the respective grades.
 - (b) The departmental officers who have rendered in the respective grade the requisite regular service specified in column (12) of the Schedule may be recommended by the Board of Assessment comprising the officers specified in column (13) of the Schedule for promotion to the next higher grade. While evaluating the suitability of the officers for promotion, the Assessment Board shall take into consideration their qualifications, performance, merit and seniority. The selection shall be on basis of confidential reports and interview. However, the Assessment Board, may at their discretion, consider in absentia the candidature of such officer who is unable to present himself for the interview. The Assessment Board shall draw up a list of officers who are assessed as fit for promotion to the next higher grade. In so far as persons undergoing training in India or abroad (under F.R. 51) are concerned, they shall be promoted to the next higher grade with effect from the date they would have been so promoted had they not proceeded on training subject to the following conditions being fulfilled :-
 - (i) The period of such training is treated as duty under F.R. 9(6)(b).
 - (ii) they have been approved for promotion to the next higher grade.
 - (iii) all their seniors, except those regarded as unfit for promotion to the particular grade, available have been promoted to that grade.
- (3) (a) The total number of posts in the grades of Scientist 'B' (Junior Hydrogeologist), Scientist 'C' and Scientist 'D' put together in Hydrogeology discipline shall be 276. The senior most 16 Officers in

the grade of Scientist 'D' shall be functionally deployed as Director. The next senior most 91 Officers in the grades of Scientist 'D' and Scienist 'C' shall be functionally deployed as Senior Hyrogeologist and the remaining Officers shall be functionally deployed as Junior Hydrogeologist. The shortfall occurring in a year in the total strength of 276 Officers in the Hydrogeology discipline shall be the vacancies arising in that particular year in the grade of Scientist 'B' (Junior Hydrogeologist) provided the total strength of Scientist 'B' (Junior Hydrogeologist) does not exceed 160. This total number of 276 posts is subject to variation depending on workload.

- (b) The total number of posts in the grades of Scientist 'B' (Junior Geophysicist), Scientist 'C' and Scientist 'D' put together in Geophysical discipline shall be 23. The senior most Scientist 'D' in the Geophysical discipline shall be functionally deployed as Superintending Geophysicist and the next 5 senior most officers in the grades of Scientist 'D' and Scientist 'C' shall be functionally deployed as Senior Geophysicist and the remaining officers shall be deployed as Junior Geophysicist. The shortfall occurring in a year in the total strength of 23 officers in the Geophysical discipline shall be the arising in that particular year in the grade of Scientist 'B' (Junior Geophysicist) provided the strength of Scientist 'B' (Junior Geophysicist) does not exceed 17. This total number of 23 posts is subject to variation depending on workload.
- (c) The total number of posts in the grades of Scientist 'B' (Hydrometeorologist), Scientist 'C' and Scientist 'D' put together in Hydrometeorology discipline shall be 7. All the 7 officers in the Hydrometeorology discipline shall be functionally deployed as Hydrometeorologist. The shortfall occuring in a year shall be the vacancies arising in that particular year in the grade of Scientist 'B' (Hydrometeorologist). This total number of 7 posts is subject to variation depending on workload.
- (d) The toal number of posts in the grades of Scientist 'B' (Chemist), Scientist 'C' and Scientist 'D' put together in Chemical discipline shall be 19. The senior most Scientist 'D' in the Chemical discipline shall be functionally deployed as Superintending Chemist and the next 3 senior most officers in the grades of Scientist 'D' and Scientist 'C' in the Chemical discipline shall be functionally deployed as Senior Chemist and the remaining officers shall be tionally deployed as Chemist. The shortfall occuring in a year in the total strength of 19 officers in the Chemical discipline shall be the vacancies arising in that particular year in the grade of Scientist 'B' (Chemist) provided the total strength of Scientist, B' (Chemist) does not exceed 15. This total number of 19 posts is subject to variation depending on
- (e) The total number of posts in the grades of Scientist 'C' and Scientist 'D' put together in Hydrology discipline shall be 8. The senior most Scienist 'D' in the Hydrology discipline shall be functionally deployed as Superintending Hydrologist and the remaining Officers shall be functionally deployed as Senior Hydrologist. The shortfall occuring in a year in the total strength of 8 officers in the Hydrology 1587 GI/95-5.

- discipline shall be the vacancies arising in that particular year in the grade of Scientist 'C' provided the total strength of Scientist 'C' does not exceed 7. This total number of 8 posts is subject to variation depending on workload.
- (4) The Government may, in consultation with the Commission include in these rules any post other than those included in the Schedule or exclude from these rules a post included in the said Schedule.
- (5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer, whose post is included in these rules under sub-rule (4), to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.
- (6) Senior Hydrologist who had put in 5 years' regular service in that grade as on 1-1-1983 shall be assessed for notional promotion as Scientist 'D' w.e.f. 30th June, 1988.
 - 8. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Controlling Authority may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 9. Grades Strength and its review.—(1) The duty posts included in the various grades, their number and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in the Schedule.
- (2) Notwithstanding anything contained in subrule (1) the Government may,—
 - (a) from time to time, make temporary additions to or alternations in the duty poets in various grades;
 - (b) in consultation with the Commission, include in the Service allied posts (other than those included in the Schedule) or exclude from the Service a post included in the Schedule; and
 - (c) in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the Service under clause (b) above to the appropriate grade on a regular basis and fix his seniority in the grade after taking into account his continuous regular service in the analogous grades.
- 10. Seniority.—(1) The relative seniority of members of the Service appointd to a grade respective subcadres at the time of initial constitution of the service under rule 5, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules:

Provided, that if the seniority of such member had not been specifically determined on the said date, he same shall be determined on the basis of rules overning the fixation of seniority as were applicable to the members of the service prior to the comnencement of these rules.

- (2) The seniority of persons recruited to the Serice after the initial constitution shall be determined n accordance with the general orders and instructions issued by the Government in this behalf from time to time.
- (3) The seniofity of any person, not covered by sub-rules (1) and (2), shall be determined by the Controlling Authority in consultation with the Comnission.
- 11. Probation.—(E) Every officer on appointment of the posts in the Junior Time Scale of the Service, either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the orders and instructions issued by the Government from time to time in this behalf:

Provided also that any decision for extension of a probation period shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with reasons for so so doing within the said period.

- (2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed against the post in terms of the orders of the Government.
- (3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be. Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.
- (4) During the period of probation or any extension thereof the officer may be required by the Government to undergo such course of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition to the satisfactory completion of probation.
- (5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by

the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.

- 12. Appointment to the Service.—All the appointments to the posts in various grades shall be made by the Controlling Authority.
- 13. Liability for Service in any part of India and other conditions of Service.—(1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.
- (2) The other conditions of Service of the members in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as are applicable, from time to time, to Group 'A' Officers of the Central Civil Services in general.
- 14. Power to relax.—Where Controlling Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 15. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.
- 16. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.
- 17. Repeal.—The following recruitment rules in so far as they relate to the posts included in the Schedule to these rules are hereby repealed.
 - (1) The Exploratory Tubewells Organisation (Class I and Class I) Services) Recruitment Rules, 1963.
 - (2) The Central Ground Water Board (Superintending Hydrologist) Recruitment Rules, 1980.
 - (3) The Central Ground Water Board (Scientific Group 'A' Posts) Recruitment Rules 1987.

Provided that such repeal shall not affect anything done or omitted to be done under the said rules before such repeal.

SCHEDULE

4 4 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1 · 1					
Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non- selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Scientist 'D'.	Rs specified in sub-rule (3) and (4) of rule 7.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial	4700-150-5000/-	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instruc-

(3)(4)(5) (6)(2) (1)Scientific and tions or orders issued by the Technical. Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Divi-, sion of Jammu and Kashmir State, Lahnul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). Whether benefit of added years of Educational and other qualifications Whether age and educational services admissible under rules 39 required for direct recruits qualifications prescribed for direct of the Central Civil Services recruits will apply in the case of promotees (Pension) Rules, 1972 (8)(7)(9)Essential: Age: No. Yes. (i) Master's degree in Science in the Educational qualifications: Yes required discipline or degree in Civil Engineering from the recognised University or equivalent. (ii) 18 years' experience in field work, research or teaching in the relevant Note: The particular discipline in which the educational qualification and areas in which experience are required shall be specified according to the requirement at the time of each direct recruitment. Note: 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates otherwise well qualified. Note: 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. Desirable: Doctorate Degree in the relevant subject from a recognised University or equivalent.

Period of probation, if any

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In the case of recruitment by promotion/ deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made

(10)

(11)

(12)

1 year for direct recruits.

By promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/direct recruitment. (The particular method of recruitment at any point of time to be decided by the Government in consultation with the Commission in the light of qualifications and experience required for the particular post keeping in view the job requirement of the same).

Promotion:

Scientist 'C' with 5 years' regular service in the grade.

Transfer on deputation:

(including short-term Contract)

Officers under the Central/State Governments/Universities/Reagnised Research-Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations:

- (a) (i) holding analogous posts on a ragular basis; or
- (ii) with 4 years' regular service in post in the scale of Rs. 3000-5000/- or equivalent: and
- (iii) with 5 years' regular service in post in the scale of Rs. 3000-4500/- or equivalent; and
- (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (8).

(The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shail not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organ nisation/department of the Central Government shall not exceed 4 years).

The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its
Composition
Comm

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Board of Assessment (for considering promotion):

- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission——Chairman.
- 2. Additional Secretary/Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water Resources—Member.
- 3. Chairman, Central Ground Water Board-Member.
- Two or more experts to be nominated by the Commission—Members.
- Note: 1. Absence of any Member other than Chairman will not vitiate the proceedings of the Board.
- Note: 2. The proceedings of the Board will be subject to approval by the Commission.
- Note: 3. The date from which the recommendations of the Board will be effective shall be decided in consultation with the Commission.
- Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):
- Additional Secretary, Ministry of Water Resources— Chairman.
- Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water Resources—Member.
- 3. Chairman, Central Ground Water Board-Member.

Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Se'entist 'C'.	As specified in sub-rules (3) and (4) of rule 7.		Rs. 3000- 100-3500- 125-4500/	Selection.	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal

(6)

Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashimir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)

(8)

(9)

Yes. For Hydrology Discipline.

Essential:

- (i) Master's degree in Geology or Hydrology or degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent.
- (ii) 5 years Practical experience in Hydrology preferably in ground water Hydrology.

For other disciplines.

Essential:

- (i) Master's degree in Science in the required discipline from a recognised university or equivalent;
- (ii) 5 years' experience in field work, research/teaching in the relevant field.
- Note: The particular discipline in which the educational qualification and areas in which experience are required shall be specified according to the requirement at the time of each direct recruitment.
- Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates otherwise well qualified.
- Note 2. The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserve for them.

Desirable:

Doctorate Degree in the relevant subject from a recognised University or equivalent.

(For Hydrology Discipline)

Experience in different methods employed in the ground water exploration.

Age: No.

Educational Qualifications: Yes.

(10)

(11)

(12)

1 year for direct recruits For Hydrology Discipline: and promotee officers.

- (i) 50% by prom tion failing which by direct recruitment.
- (ii) 50% by direct recruitment. For other discipline: : By promotion/transfer on deputation (including shortterm contract)/direct recruitment. (The part cular method of recruitment at any point of time to be decided by the Government in consultation with the Commission in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirement of the same).

For Hydrology Discipline:

Promotion: Junior Hydrologist with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

For other disciplines:

Promotion: Scientist 'B' with 5 years rogular service in the grade.

Transfer on deputation: (including short-term contract): Officers under the Central/State Governments Universities/Recognised Research Institutions Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organisations: -

- (i) holding analogous posts on a regular bas's, (a)
 - (ii) with 5 years' regular service in post in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or
 - (iii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and
- (b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (8).

(The departmental officers in the fedder grade who are in the direct line of promition will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years).

The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(13)

(14)

Departmental Promotion Comittee (for promotion for Hydrology discipline):

- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman.
- Additional Secretary/Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water Resources-Member
- Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources— Member.

For other disciplines:

(Board of Assessment)

- Chairman/Member, Union Public Service Commission-Chairman.
- Additional Secretary/Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water Resources-Member.

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

(13)

- 3. Obrirman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources -- Member.
- 4. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Momber.
- 5. Two or more experts to be nominated by the Commission-Members.
- Note 1. Absence of any Member other than Chairman will not vitiate the proceedings of the Board.
- Note 2. The proceedings of the Board will be subject to approval by the Commission.
- Note 3. The date from which the recommendations of the Board will be effective shall be decided in consultation with the Commission.

For all disciplines:

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

- 1. Additional Secretary, Ministry of Water Resources—Chairman.
- 2. Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water Resources—Member.
- 3. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources-Member.

Note:—The precedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

(1)	(2)	(3)
3. Scientist 'B' (Junior Hydrogeologist).	As specified in sub-rules of rule 7.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial Scientific and Technical).
(4)	(5)	(6)
Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
		Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep;

(7)

(8)

(9)

No

- (i) For direct recruitment on the result of the Geologists' Examination:

 Master of Science degree in Geology or Applied Geology from a recognised University or equivalent or any other qualifications, the standard of which in the opinion of the Union Public Service Commission is held to be justifying the admission of a candidate to the Geologists' Examination.
- (ii) For direct recruitment on the basis of Selection by Interview.

Essential:

- (a) Master of Science degree in Geology or Applied Geology from a recognised University or equivalent.
- (b) 3 years' experience in Hydrogeological/
 Geological Investigations.

Desirable:

Experience of groundwater surveys and sampling, interpretation of borehole data and independent Geological Mapping.

Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the can lidates otherwise well qualified.

Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Age: No

Educational Qualifications 1 Yes.

(10)

(11)

(12)

2 years

- (i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment.
- (ii) 50% by direct recruitment on the results of the Geologists' Examination conducted by the Union Public Service Commission failing which on the basis

Promotion:

Assistant Hydrogeologists with 3 years' regular service in the grade.

Transfer on deputation (including short-term contract):

Officers under the Central /State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi-Governments/Statutory or (10)

(11)

(12)

of selection by interview.

Autonomous Organisations :-

- (a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or
- (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column (8).

(The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.)

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years.)

The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closin date of receipt of applications.

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission-Chairman

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

2. Chairman Central Ground Water Board,
Ministry of Water Resources —Member

3. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources

-Member

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources

—Chairman

2. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources

-Member

3. Deputy Secretary, Ministry of Water Resources

-Member

Note:—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

5 6 2 3 Not exceeding 35 4. Scientist 'B' General Central Rs. 2200-Selection years As specified in 75-2800-(Relaxable for Government sub-rules (3) and Service, Group (Junior Geophyservants upto 5 years in EB-100-4000 'A', Gazetted, sicist). (4) of rule 7. accordance with the ins-(Non-Ministerial tructions or orders issued Scientific and Technical). by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in Indi a (and not the closing date prescribed for these-in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division Jammu and Kashmir Lahaul and Spiti State. District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicoba Islands or Lakshadweep.) 8 9 7 Age: No. Essential: No (i) Master's degree in Physics/Applied Physics/Radio Physics Educational Qualifications: Yes and Electronics/Geophysics/Applied Geophysics/Geology/ Applied Geology from a recognised University or equivalent; (ii) 3 year's research and/or practical experience in the electronics aspects of Geophysical Instrumentation and repairs of such instruments; OR 3 years' experience in the actual conduct and interpretation of Geophysical Survey work, particularly with reference to ground water. Note: 1. A candidate holding a Masters' degree in Geology or Applied Geology should have had Physics as one of the subjects at the Bachelor of Science Degree Examination of a recognised University or equivalent. Note: 2. Specific experience requirement under educational qualifications (ii) to be indicated on each occasion at the time of recruitment.

Note: 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candida-

tos otherwise well qualified.

Note: 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

10

11

12

2 years

- (i) 50% by promotion failing which Promotion: by transfer on deputation (including shortterm contract) and failing both by direct recruitment.
- (ii) 50% by direct recruitment.

Senior Technical Assistant (Geophysics) with 5 years' regular service in the grade.

Transfer on deputation:

(including short-term contract)

Officers under the Contral/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Public Undertakings/Semi-Government/Statutory Sector or Autonomous Organisations:-

- (i) holding analogous posts on a regular basis; (a)
 - (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500/- or equiavlent; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column

(The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).

(Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years.)

The maximum age-limit for appointment by transier on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

13

14

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman
- 2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources

Selection on each occasion shall be made in consultation, with the Union Public Service Commission.

3. Chief Hydrogeoloist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Member

Group 'R' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

- 1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Chairman.
- 2. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Member.
- 3. Deputy Secretary, Ministry of Water Resources-Member.

Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

(1) (2) (3) (4)	(5)	(6)
5. Scientist 'B' (Chemist) Sub-rules (3) and (4) of rule 7. 'A', Gazetted, EB-100- (Non-Ministerial Scientific and Technical).	ection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(10)

(12)

2 years.

1614

No.

 (i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation (including shortterm contract) and failing both by direct recruitment.

(ii) 50% by direct recruitment.

Promotion:

Assistant Chemist with 3 years' regular-service in the grade.

Transfer on deputation:

(including short-term contract).

Officers under the Central/State Governments/Universities/ Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations:—

- (a) (i) holding analogous posts on a regular bas's; or
 - (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500/- or equivalent; and
- (b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column (8).

(The departmental officers in the fedder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by prometion).

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years).

The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

- 1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman.
- 2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources-Member.
- 3. Chief Hydrogeologist, Contral Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Member.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

- 1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources-Chairman.
- 2. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources-Member.
- 3. Deputy Secretary, Ministry of Water Resources—Member.

Note:—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

(2) (3) (4) (5) **(6)** (1)6. Scientist 'B' As specified in General Central Rs. 2200-75-Selection Not exceeding 35 years (Hydrosub-rules (3) & Service, 2800-EB-(Relaxable for Government meteorologist). (4) of rule 7 Group 'A', 100-4000. servants upto 5 years in Gazetted, accordance with the ins-(Non-Ministerial tructions or orders issued Scientific and by the Central Government). Technical) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

Pangi

chal Pradesh,

Lakshadweep).

Sub-Division Cnamba District of Hima-

and Nicobar Islands or

Andaman

the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for

(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/ department of the Central Government shall not exceed

The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the

closing date of receipt of applications.

appointment by promotion).

3 years).

1616

(7)

No.

(10)

2 years.

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

- Chairman/Member, Union Public Service Commission.
- Chairman
- 2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources.
- --- Member
- 3. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources.
- -- Member

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

- 1. Chairman, Central Ground Water Board.
 Ministry of Water Resrouces.
- --- Chairman
- 2. Chief Hydrogeologist, Ceneral Ground Water Board, Ministry of Water Resources.
- Member
- 3. Deputy Secretary, Ministry of Water Resources- Member

Note: The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are no, approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[File No. 21.6/91 –GW] RAJENDRA MISRA, Dey. Secy.

मंचार मंत्रालय

नर्ड दिल्ली, 21 जुन 1995

मा.का.िन. 334: राष्ट्रपति, संविधान के श्रनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदन्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दरसंचार विभाग, सिविल इंजीनियरी पक्ष (फेरोम्इक श्रौर ज्येष्ठ नक्शानवीस (विद्युत) श्रोर किनष्ठ नक्शानवीस (विद्युत) भर्ती नियम 1989 श्रौर दूरसंचार विभाग, सिविल इंजीनियरी खंड) फेरो मद्रक श्रौर ज्येष्ठ नक्शानवीस (सिविल) तथा कनिष्ठ नक्शानवीस (सिविल) भर्ती नियम, 1989 के उन वातों के सिवाय श्रिधिकांत करते हुए जिल्हे ऐसे श्रिधिकामण से पहले किया गया है या करने का लोग किया गया है संचार संवालय के दूरसंचार विभाग के सिविल इंजीनियरी पक्ष मे फेरो मुद्देक श्रौर नक्शानवीस (सिविल) श्रौर नक्शानवीस (विद्युत) के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, श्रियित :-

- ा. संक्षिप्त नाम श्रीर प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार विभाग सिविल इंजीनियरी पक्ष (फेरो-मुद्रक, नक्शानश्रीस (सिविल) श्रीर नक्शानवीस (विद्यूत) भर्ती नियम, 1995 है।
 - (2) ये राजगत्र में प्रकाशन की तारोख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पट्टों की संख्या, उनका वर्गीकरण ग्रोर उनके वेतनमान ये होगे, जो उन नियमों से उपात्रक्ष ग्रनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट है ।
 - 3. भर्ती की ९ञ्चति, श्रायु-सीमा, ग्रर्ह्साए ग्रादि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति ग्रायु सीमा, ग्रर्हताए ग्रौर उनसे संबंधित ग्रन्य बाते वे होंगी जो उक्त ग्रनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - त. निरर्हमा : वह व्यक्ति--
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है :

उक्त पद पर नियक्ति का पाच नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. इन नियमों के अधीन विद्यमान नक्शानवीस का बिनियमन : इन नियमों के प्रकाशन से, दूरसंचार विभाग के सिविल पक्ष में नक्शानवीस (सिविल) धौर नक्शानवीस (विद्युत) के काइर की तीन श्रेणियां होंगी प्रश्रीत नक्शानवीस श्रेणी-1 नक्शानवीस श्रेणी-2 और नक्शानवीस श्रीणी-3, जिनकी भर्ती प्रहेताए श्रीर वेतनमान वही होंगे जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हैं। योजना प्रभाग में ज्येष्ठ नक्शानवीस (सिविल) श्रोर ज्येष्ठ नक्शानवीस (विद्युत) के विद्यमान पद को नक्शानवीस श्रेणी-1 के रूप में पूनः पदाभिष्ठीत किया जाएगा श्रीर योजना प्रभाग में कनिष्ठ नक्शानवीस को नक्शानवीस श्रेणी-3 के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा । संनिर्माण प्रभाग में कनिष्ठ नक्शानवीस का पद नक्शानवीस श्रेणी-2 के रूप में पून: पदाभिहित किया जाएगा। ६न श्रेणियों में पदों की सख्यां, वेतनमान ग्रौर भर्ती की पद्धति वही होगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं । ऐसे विद्यमान ज्येष्ठ नक्शानवीस (सिविल) श्रौर प्योष्ठ नक्शानबीस (विद्युत) जिन्हें नक्शानवीस श्रेणी-1 के पुनरीक्षित वेतनमान श्रनुदत्त कर दिए गए हैं, नक्शानवीस श्रेणी-1 के पद पर एसे पदों की उपलब्धता की सीमा तक समायोजित किए जाएगें। उन नक्यानवीसों को, जिन्हें पदों की श्रधिकता में श्रभिज्ञात किया गया है, नक्शानवीस श्रणी-2 के पदों की बराबर सख्यां में ग्रस्थायी रूप से उनके लिए निजी तौर पर उन्नत करके नक्शानवीस श्रोणी-1 के बेतनमान में बने रहने दिया जाएगा। ऐसे नक्शानवीस इन नियमों के अधीन नियमित रूप में प्रोन्नत ज्येष्ठ नक्शानवीस द्वार पद रिक्त करने पर नक्शानवीस श्रणी-1 के पद की उपलब्धता पर, नक्शानवीस श्रणी-1 की श्रेणी में नियमित रूप से नियुक्त किए जाएंगे । केवल सभी ग्रतिरिक्त पदधारियों की नक्शानवीस श्रेणी-1 के पद पर नियक्ति के पश्चात नक्शानवीस श्रेणी-1 हूँकी श्रणी में होने वाली रिक्ति, नक्शानवीस श्रणी-2 की प्रोन्नित द्वारा भरी जायेगी जब भी मितिरिक्त पद धारी नक्शानवीस श्रणी-1 के ग्रभिज्ञात पदों पर नियुक्त हो जाते हैं सब ऐसे पदधारियों का समायोजित करने के लिए ग्रस्भायी उन्नत नक्शानवीस श्रेणी-2 के पद, स्वतः ग्रवनत हो जाएगें ग्रौर नक्शानवीस श्रेणी-2 में पूनः प्रत्यावर्तित हो जाएगें।

इसी प्रकार, ऐसे कनिष्ठ नक्यानवीस जो नक्यानवीस श्रणी-2 के वेतनमान में हैं उपरोक्त ीति में नक्यानवीस श्रेणी-2 की श्रेणी में समायोजित ग्रीर नियुक्त हो जाएगें। वे कनिष्ठ नक्यानवीस जो नक्यानवीस श्रेणी-2 की श्रिक्षकत में ग्रिक्शित किए गए हैं, नक्यानवीस श्रेणी-3 के पदों की बराबर संख्या के ग्रस्थायी रूप में उनके लिए निजी तौर पर उन्नत करके इन नियमों के ग्रधीन नक्यानवीस श्रेणी-2 के रूप में समायोजित किए जाएंगे। जब भी वे नियमित पदों पर समायोजित हो जाते हैं, ग्रस्थायी रूप से उन्नत पद समाप्त हो जाएंगे ग्रीर पद नक्यानवीस श्रेणी-3 के रूप में पूनः प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

- 6. शिथिल करने की शिक्ति : ज्रा केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना श्रावश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत श्रादेश द्वारा शिविल कर सकेगी।
- 7. ब्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, ग्रायु-सीमा में छूट ग्रौर श्रन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये ग्रादेशों के ग्रनुसार श्रनुसूचित जातियों, श्रनुसूचित जनजातियों भृतपूर्व सैनिकों ग्रौर श्रन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के तिए उनबंध करना ग्रयेक्षित है।

धनसची

पदकानाम	पदों की संख्यांव	र्गीकरण टे	वेतनमान	चयन पद अथवा श्रवयन पद	सेवा में जे. गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के श्रधीन श्रनुश्चेय है या नहीं	जाने वाले ब्य- क्तियों के लिए
1	2	3	4	5	6	7
1. नक्शानवी श्रणी-1 (सिविल)	स 51 * (1995)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'' श्रराजपक्षित भ्रननुसचिवीय	द . रो.~60-	00 श्रचयन	नहीं	लाग् नहीं होता
;	*कार्यभार के ग्र	ाधार पर परि वर्त न	न किया जा सब	त्सा है।		

श्र प्रश्नी होता जागू नहीं होता	-	जाने वाले व्यक्तियों के कि भौर भ्रन्य श्रहिताएं	विहित भ्रायु	कए जाने वाले व श्रोर मौक्षिक श्र ादशा में लागूः	हैताएं प्रोन्नत	तए परिवीक्षा की भ्रव	धि यदि के	ाई हो
भर्ती की पर्वति : सर्ती सीधे होगी वा प्रोत्नित द्वारा या प्रोत्नित्रितिस्तुश्चित्रं स्थानान्तरण द्वारा सर्ती की दश प्रतिभित्रं स्थानान्तरण द्वारा सर्वी की प्रतिमान पर्वतियों में वे श्रेणियां जिनसे प्रोत्नितिमृत्रितिस्तुनित्रं स्थानान्तरण किय जाएगा 11 12 जत प्रतिमान प्रोत्निति द्वारा स्था विभिन्न पर्वतियों में प्रतिमानता जाएगा गत प्रतिमान प्रोन्निति द्वारा स्था निर्मित द्वारा स्था निर्मित द्वारा स्था निर्मित द्वारा स्था निर्मित स्था की है यदि विभागीय प्रोन्निति द्वारा निर्मित है तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग स्थानति के सम्बन्ध में विचार करने के विषय समृह "न" विभागीय प्राप्ति विवार आएगा 13 14 प्रोत्निति के सम्बन्ध में विचार करने के विषय समृह "न" विभागीय प्राप्ति विवार आहणा विद्या आएगा 13 14 प्रोत्निति किसमिति विवार्ग विभागिय (सिवित्र) — प्राप्यक में मर्जेशक (सिवित्र) — सदस्य 2 कार्यपालक इंजीनियर (सिवित्र) या संकर्म मर्जेशक (सिवित्र) — स्वयस्य 1 2 3 4 5 6 7 2. ग्रक्शानवीस 20* (1995) साधारण वेज्वीय 1000-50-2300 प्रचयन महीं लागू नहीं होत प्रोत्ति प्राप्ति विवार स्थान स्थान विवार समान विवा		8	9			10		
प्रतिनिधुमिन/स्थानान्तरण बारा तथा विभिन्न पढिवियों हारा भरी जाने बाली रिक्तियों भी प्रतिवातता 11 12 शत प्रतिश्चन प्रोन्ति द्वारा 11 12 शत प्रतिश्चन प्रोन्ति द्वारा ऐसे नक्लानशील श्रेणी-2 (सिविल) (1400-2300 ह.) में जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा भी है यदि विभागीय प्रोन्तित सीमित है तो उसकी संरचना पतीं करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा श्रायोग प्राम्त्रले तिथा जाएगा 13 प्रोन्तित के सम्बन्ध में विचार करने के लिए समृह "ग" विभागीय प्रोन्तित सीमित जिससे निम्नतिलिखन होंगे :— 1. भशीक्षण इंजीनियर (सिविल) — प्रध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) या संकर्म सर्वक्षक (सिविल) — सदस्य 3. हूर्रसंचार सीम्ल डारा नाम निर्दिष्ट कोई समृह "क" प्रधि-कारी ——सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 2. तक्ष्णानवीस 20* (1995) साधारण केन्द्रीय 1600-50-2300 प्रचयन महीं लागू नहीं होते श्रीपार परियन्तेन अराजपतिस 2660 है. श्रीपार परियन्तेन अराजपतिस 2660 है. श्रिया जा सकता है। अननुसचित्रीय	नागू नही होता		लाग् नहीं ह	ीता		लागृ नहीं होता		
णत प्रतिशान श्रोन्ति हारा ऐसे तक्कानबीस श्रेणी-2 (सिविल) (1400-2300 र.) से, जिन्होंने उस श्रेणी में बार वर्ष नियमित तेवा की है विवार करने के तिए समृह "न" विभागीय जाएना 13 14 प्रोन्तित के सम्बन्ध में विवार करने के तिए समृह "न" विभागीय जामू नहीं होता प्रोन्तित के सम्बन्ध में विवार करने के तिए समृह "न" विभागीय जामू नहीं होता प्रोन्तित के सम्बन्ध में विवार करने के तिए समृह "न" विभागीय जामू नहीं होता प्रोन्तित विभाग विभाग विभाग — प्राप्ति विचा — प्राप्ति विचा — प्राप्ति विचा — स्वर्थ — स्वर्थ विचार (सिविज) — स्वर्थ — स्वर्थ — स्वर्थ विचार सिकिल हारा नाम निर्देश्व कोई समृह "क" प्रधि-कारी —— सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 2. प्रवक्षानवीस 20 (1995) साधारण केन्द्रीय 1600-50-2300 प्रवयन महीं लागू नहीं होत श्रेणी-1 (विद्युत) "कार्यभार के सेवा, समृह "न" द.रो60- प्राधारपर परिवर्गन अराजपतित 2660 र. किया जा सकता है। अननुसिववीय	प्रतिनियुक्ति/स्थान	ान्तरण द्वारा तथा विभिन्	न पद्धतियों	में वे	श्रेणियां जि			
में, जिन्होंने उस श्रेणी में बार वर्ष नियमित सेवा की है यदि विभागीय प्रोन्नित मिनित है तो उसकी संरचना 13 14 प्रोन्नित के सम्बन्ध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नित सिमिति जिसमें निर्माणिखन होंगे :- 1. प्रशिक्षण हंजीनियर (सिजिल) - अध्यक्ष 2. कार्यपालक हंजीनियर (सिजिल) या संकर्म सर्वेक्षक (सिजिल)सदस्य 3. दूरसंचार सिक्षल द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई समूह "क" प्रश्चि- कारीसदस्य 1 2 3 4 5 6 7 2. ग्रहणानवीस 20* (1995) साधारण केन्द्रीय 1600-50-2300 प्रचयन नहीं लागू नहीं होत श्रेणी-1 (विचृत) "कार्यभार के सेवा, समूह "ग" द.रो60- ग्राधारपर परिकृत सराज्यित 2660 ह. किया जा सकता है। अननुसचिवीय		11	······································		12		 ,	
यवि विभागीय प्रोन्तित सिभिति है तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा प्रायोग परामर्ग लिया जाएना 13 14 प्रोन्तित के सम्बन्ध में विवार करने के लिए समृह "ग" विभागीय लागू नहीं होता प्रोन्तित सिमिति जिसमें निम्नालिखित होंगे :- 1. प्रायोक्षण इंजीनियर (सिविल) —प्रश्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) या संकर्म सर्वेशक (सिविल)सदस्य 3. दूरतंचार सिक्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई समृह "क" प्रश्चि- कारी —सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 2. नक्ष्णानवीस 20* (1995) साधारण केन्द्रीय 1600-50-2300 प्रचयन नहीं लागू नहीं होत प्रेणी-1 (विद्युत) *कार्यभार के सेवा, समृह "ग" द.रो60- प्राधार पर परिवर्तन प्रराजपितत 2660 र. किया जा सकता है। प्रमन्सिववीय	शत प्रतिशत प्रो	निति द्वारा						
प्रोन्नित के सम्बन्ध में विवार करने के लिए समूह "ग" विभागीय लागू नहीं होता प्रोन्नित समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे :- 1. प्रधीक्षण इंजीनियर (सिविल) -प्रध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) या संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)सदस्य 3. दूरसंचार सिक्ति द्वारा नाम निर्देष्ट कोई समृह "क" प्रधि-कारीसदस्य 1 2 3 4 5 6 7 2. नक्शानवीस 20* (1995) साधारण केन्द्रीय 1600-50-2300 प्रचयन नहीं लागू नहीं होत अर्थेणी-1 (विद्युत) *कार्यभार के सेवा, समृह "ग" द.रो60- प्राधार पर परिवर्तन धराजपतित 2660 रु. किया जा सकता है। ग्रान्नुसिचवीय						रेस्थितियों में संघ लो	क सेवा श्र	- - ायोग से
प्रोन्ति समिति जिसमें निम्निलिखित होंगे : 1. प्रधीक्षण इंजीनियर (सिविल)प्रध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) या संकर्म सर्वेक्षक (सिविल)सदस्य 3. दूरसंचार सिकल द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई समृह 'क'' प्रक्षि- कारीसदस्य 1 2 3 4 5 6 7 2. नक्ष्णानवीस 20* (1995) साधारण केन्द्रीय 1600-50-2300 प्रचयन नहीं लागू नहीं होते औणी-1 (विद्युत) क्ष्मार्यभार के सेवा, समृह 'ग' द.रो60- प्राधार पर परिवर्तन प्रराजपितत 2660 र. किया जा सकता है। प्रानुसिचिवीय		13				14		-
2. नक्शानवीस 20* (1995) साधारण केन्द्रीय 1600-50-2300 ग्रचयन नहीं लागू नहीं होत श्रोणी-1 (निद्युत) *कार्यभार के सेथा, समूह ''ग'' द.रो60- ग्राधार पर परिवर्तन श्रराजपन्नित 2660 रु. किया जा सकता है। ग्रननुसिवयोय	प्रोन्नित समिति । प्रधीक्षण इंजी 2. कार्यपालक इंसदस्य 3. दूरसंचार सी	जिसमें निम्नलिखित होंगे नियर (सिविल) —श्रध्य जीनियर (सिविल) या स फॅल द्वारा नाम निर्दिष्ट	: गक्ष गंकर्म सर्वेक्षक (सि	विल)	लागू नहीं	होता		
श्रोणी-1 (विद्युत) *कार्यभार के सेवा, समूह ''ग''द.रो60- ग्राधार पर परिवर्तन श्रराजपत्नित 2660 रु. किया जा सकता है। श्रननुसचिवीय	1	2	3	4	5	6	7	·
		*कार्यभार के सेवा ग्राधार पर परिवर्तन अर	, समूह "ग' द. गुजपन्निस 2	रो60-	श्रचयन	महीं	लागू न	हीं होता
सागू नहीं होता सागू नहीं होता सागू नहीं होता		8		9		10		
	सागू नर्ह	ों होता	লা	गूनहीं होता		क्षागू नहीं होता		

20 1	HE GAZET	TE OF INDIA	: JULY 15,	1995/ASAD	HA 24, 19	917 [PART II—SEC. 3(i)]
	11			,	12	
यत प्रतिशत प्रोन्न	नि द्वारा					(विद्युत) (1400-2300 ह.) र्वनियमित सेवा की है
	(13)				1	1 4
प्रोत्निति समिति । 1. प्रधीक्षण इंजीनि 2. कार्यपालक इंज	जिसमे निप्नरि ायर (विद्युत्) <i>–</i> ग्रीनियर (विद्युत्		 (विद्युस्)सद		लाग् नहीं	होता
1		3		6	6	7
3. नक्णानबीस श्रेणी-2(मिविल)	93* (1995) *कार्यभार के श्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय मेंबा, सम्बह् ''ग'' अराजपितन स्रानुमचिवीय	1400-40- 1800-इ.से. 50-2300 ह.		नहीं	18 से 25 वर्ष । (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये श्रादेशों, श्रानुदेशों के श्रानुसार विभागीय श्रभ्यथियों के लिये णिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकर्ता है)। टिप्पणी :श्रायु सीमा श्रवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है
	8	······		9		10
या समतुत्य (2) किसी और्था मान्यताप्राप्त संस् वर्षीय डिप्लीम (3) किसी ख्या यर्ष का मनुभव टिप्पणी :	गेक प्रशिक्षण संस्था से नक्षानकी त्या से नक्षानकी त्रिप्रमाण पत्न ति प्राप्त संगठन ।, । संबंधी स्रहेता चित जनजातियों ।र की यह राय	ोस (सिविल) में दो । में इस क्षेत्र मेर्तान । केन्द्रीय सरकार के : । के ग्रध्ययियों की	यिवेकानुसार उन दशा में तय पि ग्रारक्षित रिवि	गथिय की <mark>जास</mark> क स्तयों को भरने	ती है। जब	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति लिये दो वर्ष । विद्य करके अनुसूचित जातियों आंच चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय त ग्रमुभव रखने वाले उन सम्दाये
	ىپىچ — اىسانىدە، 19 ₄ ىچىچ — خىسانىدە.					

1.3

14

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की प्रोन्मति

लाग् नहीं होता

पुष्टि के मंब्रा में विवार करते के लिबेसमृह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निस्नलिखित होंगें:---

- (1) अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)--अध्यक्ष
- (2) कार्यपालक इंजीनियर (सिवल) या संकर्भ मर्वेक्षक (सिविल)

---मदस्य

(3) दूरसंचार मिकल द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई समूह "क" श्रिधकारी—सदस्य

1	2	3	5	5	6	7
4. नक्ष्णानवीस श्रेणी-2(विद्युत्)	48* (1995) *कार्यभार के ग्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, ममूह ''ग'' अराजपत्नित अननुमचिवीय	1400-40- 1800-इ.से 50-2300 ह.	ग्रचयन	नहीं	18 सें 25 वर्षः (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस स् में जारी किये गये श्रावे श्रनुदेणों के श्रनुसार विभा श्रभाथियों के लिये णिथिल व 40 वर्ष तक की जा सकती है टिप्पण:—श्रायु-सीमा श्रवधा करने के लिये निर्णायक ता वह तारीख होगी जिस रोजगार कार्यालय से भेजने के लिये कहा गया है।

8

10

(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैदिक्लेणन या समत्त्य ।

नागु नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये दों वर्ष ।

- (2) किसी औद्योगिक प्रणिक्षण, संस्थान या समतुल्य मान्यता प्राप्त संस्था से नक्ष्णानवीस (विद्युत्)/(योविकी) में दो वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पन्न।
- (3) किसी ख्याति प्राप्त संगठन में इस क्षेत्र में तीन वर्ष का श्रनुभव।

िटण्यण ∹--श्रनुभव संबंधो श्रर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार उनके लिये जो कारण है उन्हें लखबद्ध करके श्रनुसूचित जाति और श्रनुसूचित जनजातियों के अभ्ययियों की दणा में तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिये ग्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिये श्रोक्षित ग्रमुभव रखने वाले उन समदायों के श्रभ्यथियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

[1

12

शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर नीधी भर्ती द्वारा। ऐसे नक्शानबीस श्रेणी-3 (विद्युत्) (1200-2040/- ह.) में से जिन्होंने जम श्रेणी में पांच वर्ष नियमित लेंबा की ी।

1622	THE GAZ	ETTE OF IND	IA: JULY 15, I	.9 95/A SA1	DHA 24,	1917 [PART IISEC. 3(i)]
	13			1 4	1	
संबंध में विचा समिति जिसमे ((i) ग्रधीक्षण (!i) कार्यपाल (विद्युत्त	र करने के लिए सम् निम्नलिखित होंगे इंजीनियर (विद् कि इंजीनियर (ि न) र सर्किल द्वारा न	Ì	प्रोन्नति -भ्रध्यक्ष सर्वेक्षक सदस्य	लागृ न	हीं होता ।	
1	2	3	4	5	6	7
5. नक्ष्णानवीर श्रेणी 3 (सिविल)	स 204** (1995) *कार्यभार के के श्राधार पर परिवर्तन किया	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह ''ग'' ग्रराजपत्नित, श्रननुसचिवीय	1200-30- 1560-इ. रो 2040/-ह.	श्रचयन	नहीं	18 में 25 वर्ष (केन्दीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार विभागीय अन्यियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण:—-आयु-सीमा अव- धारित करमे के लिए निर्णा- यक तारीख वह ग्रंतिम तारीख होगी जिस तक रोज- गार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।
سا کان پیدیدان پیر بند اور اس بین	8			9	 -	10
लेणन या (2) किसी क मान्यताप्र दो वर्षीय वाक्रमीय : — न ग्रन्भम । टिप्पण : — प्रन् विवेकानुसार वाह्र करके जासियों के जासकली सरकार की रिक्तियों के वाले उन सम	ा समतुल्य ग्राधीगिक प्रणिक्षण ग्राप्त संस्था से न ग्रिष्णोमा /प्रमाण- प्रमानवीस के रू प्रभव संबंधी अर्हत प्रमुख्ति जातियो स्रभ्याथियों की व है जब चयन के। ग्रिस्ति के लिए उ	ग संस्थान या समत् भणानवीस (सिविल गन्न । प में एक वर्ष त नेन्द्रीय सरकार कारण हैं उन्हें केने गिर श्रनुसूचित उ जा में तब गिथिल किसी प्रक्रम परके उनके लिए ग्रारि ग्रेक्षित श्रनुभव रु भों के पर्याप्त संख्या) में का के ब- तन- की स्ट्रीय झेत खने			सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ।

।[गं Hचर्चच 3(i)]	भारत का राजपक्ष : जुलाई 15.1995, मार्थाड़ 24.1917					
11		12				
i) 90 प्रतिशत रोजगार कार्गालय के माध्यम भर्ती हारा, श्रौर ii) 10 प्रतिशत प्रोचिति हारा।		की है।		भ क्षेत्र में 8 वर्ष नियमित सेव क्षण उत्तीर्ण करने के प्रधीन रहते		
1 3		14	 !			
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की प्रोन्नति/पुर्ति विचार करने के लिए समूह "ग" विभागी मिति जिसमे निम्नलिखित होंगें: i) श्रधीक्षण इंजीनियर (सिविल) ii) कार्यापालक इंजीनियर (सिविल) या संव (सिविल) iii) दूरसंभार सर्किल द्वारा नामनिदिष्ट कोई श्रधिकारी	य प्रोन्निति	लाग् नह	ों होता			
1 2 3	4	5	6	7		
3. नक्शानवीस 80* साधारण केन्द्री श्रोणी 3 (1995) सेवा, समूह "व (विद्युस) *कार्यभार के ग्रराजपित ग्राधार पर ग्रननुसिविवीय परिवर्त न किया जा सकता है।	। 1560-द 40-2040	. से.	नर्हीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा है संबंध में जारी किए र श्रादेणों/ग्रन्देशों के ग्रन्स विभागीय अभ्यर्थियों लिए शिथिल करके 4 वर्ष तक की जा सक है।) टिप्पण: — ग्रायु-सीमा श्रा धारित करने के लिए निण् यक तारीख वह ग्रंतिम तारीख होगी जिस त रोजगार कार्यालयों से न भेजने के लिए कहा ग		
8		9		10		
(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से लेशन या समगुल्य, श्रीर (2) किसी श्रीद्योगिक श्रिशिक्षण संस्थान या मान्यतात्राप्त संस्था से नक्शानवीसी (वि यांत्रिक में वोवर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र वांछनीय:नक्षणानवीम के रूप में एक व ग्रमुभव।	म मतु स्य बद्युत्त)/	लाग् नहीं होता		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति केलिए दोवर्ष।		

टिप्पण : --- अनुभव संबंधी 'अर्हता केन्द्रीय संरकार के विवेकानसार उनके लिए जी कारण है उन्हें लेखबाउ करके अनुसुचित जातियों भ्रौर स्रन्सुचित जनजातियों के श्रभ्यर्थियों की दगा में तब शिथिल की जा सकती है जब जयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए ब्रारक्षित रिक्तियों को भरने के लिए प्रपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अध्यिषयों के पर्याप्त संस्था में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

12 (i) 90 प्रतिशत रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सीधी ऐसे फैरो मुद्रकों में से जिन्होंने उस क्षेत्र में 8 वर्ष नियमित भर्ती द्वारा, सेवाकी है। श्रीर इस प्रयोजन के लिए बिहित परीक्षण उनीर्ण करने के प्रधीन रहते (ii) 10 प्रतिशत शोश्रति द्वारा हए प्रोन्नति। 14 सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की प्रोन्नति और पष्टि के संबंध लागुनहीं होता में विचार करने के लिए समृह "ग" विभागीय प्रीन्नति मिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-(i) अधीक्षण इंजीनियर (विधिम) –श्रध्यक्ष (ji) कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) या संकर्म सर्वेशक (विद्युत) ---मखम्य (iii) दुरसंचार सर्किल द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई समृह "क" प्रधि-कारी ⊸सदम्य 1 साधारण केन्द्रीय 825-15-900-नहीं लाग नहीं होता 5*(1995) श्रचयन क फेरो-मद्रक सेवा समृह "ग" द.रो.-20-ग्रराजपक्षित, 1200/ছ. श्रनन्**सचि**त्रीय , *कार्यभार के ब्राधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। लागुनही होता दो वर्ष लागुनही होता

1625 भारत गर राज्यमा अञ्चलकि 15,199**5 प्राचाह 24**,1917 ਸਿੰਘ II---ਤੱਕ ਪ(1)1 11 श्रोन्नति : **प्रोन्नति द्वारा;** जिसके न हो सकने पर स्थानान्नरण द्वारा । ऐसे दफ्तरियों में से जिन्होंने दूरसंचार विभाग में पांच वर्ष नियमित सेवा की है। स्थानान्तरण : ऐसे उपयुक्त स्थक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो समरूप या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन भ्रन्य मंत्रालयों में पांच वर्ष नियमित सेवाकी है। 13 14

प्रोन्निति के संबंध में विचार करने के लिए समृह "ग" विभागीय प्रोन्नति ममिति :

लागु नहीं होता

- (i) ग्रधीक्षण इंजीनियर -प्रध्यक्ष
- (ii) कार्यपालक इंजीनियर या संकर्म सर्वेक्षक -सदस्य
- (iii) दूरसंभार सर्कित द्वारा नामितिर्विष्ट कोई समह "क" प्रधि-कारी -सदस्य

[फा .सं . 7-1/90-सीए**चई**]

के. एस. चन्द्राहासन, सहायक महानिदेशक (सी इब्ल्य)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi, the 21st June, 1995

G.S.R.334. — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Telecommunications and Engineering Wing Ferro-Printer and Senior Draftsman (Electrical) and Junior Draftsman (Electrical) Recruitment Rules, 1989, and the Department of Telecommunications, Civil Engineering Wing [Ferro-Printer and Senior Draftsman (Civil)] and Junior Draftsman (Civil)] Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such suppersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Ferro-Printer and Draftsman (C vil) and Draftsman (Electrical) in the Civil Engineering Wing of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, namely:-

- 1. Short title and commencement:
- (1) These rules may be called the Department of Telecommunications, Civil Engineering Wing [Ferro-Printer, Draftsman (Civil) and Draftsman (Electrical] Recruitment Rules, 1995.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of Posts, class fication and scales of pay: -The number of the said posts their classifications and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.: The method of recruitment to the said posts, agi lim't, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.
 - 4. Disqualification :- No person-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Contral Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are offer grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Regulation of the existing Draftsman under these rules : --

With the publication of these rules, the cadre of Draftsman (Civil) and Draftsman (Electrical) in the Civil Wing of Department of Telecommunications shall have three grades; namely, Draftsman Grade.-I Draftsman Grade-II and Draftsman Grade-III, with identical recruitment qualifications and scales of pay as in the Central Public Works Department. The post of Senior Draftsman (Civil) and Senior Draftsman (Electrical) existing in the Planning Divisions shall be redesignated as Draftsman Grade-II and the Junior Draftsman in the Planning Divisions shall be redesignated as Draftsman Grade-III. The post of Junior Draftsman in the Construction Divisions shall be redesignated as Draftsman Grade-II. The number of posts in these grades, scales of pay and the method of recruitment shall be as specified in the Schedule annexed to these rules.

The existing Senior Draftsman (Civil) and Senior Draftsman (Electrical) who have been granted the revised scale of pay of Draftsman Grade-I shall be adjusted against the post of Draftsman Grade-I to the extent such posts are available. The Draftsmen in excess of the posts identified shall be allowed to continue in the scale of pay Draftsman Grade-I by temporarily upgrading equal number of the post of Draftsmen Grade-II as personal to them. Such Draftsman shall be regularly appointed to the grade of Draftsman Grade-II on their vacation by regularly promoted Senior Draftsman, under these rules. Only after regular appointment of all the excess officials, as Draftsman Grade-II. As and when the excess officials are appointed against the identified posts of Draftsman Grade-II. As and when the excess officials are appointed against the identified posts of Draftsman Grade-II, the posts of Draftsman Grade-II, temporarily upgraded to accommodate such officials shall be automatically downgraded and restored back as Draftsman Grade-II.

Similarly, the Junior Draftsmen who are in the scale of pay of Draftsman Grade-II, shall be adjusted and appointed in the grade of Draftsman Grade-II in the above manner. The Junior Draftsmen in excess of the identified posts of Draftsman Grade-II, will be accommodated as Draftsman Grade-II under these rules, by temporary upgraedation of an equal number of posts of Draftsman Grade-III as personal to them. As and when they are accommodated against the regular posts, the temporary upgradation will cease and the posts shall be restored back to Draftsman Gr.-III.

- 6. Power to relax:— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 7. Saving:— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concession required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
!	2	3	4	5
Draftsman Grade-I (Civil).	51 *(1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1600-50-2300-EB 60-2660	- Non-selection

[444 11 - 44 2(1)]		मारत का राज्यस्तः गुनाम् 15,18	222 MININE CELL	1327
Whether benefit of add years of service admiss under rule 30 of the C Civil Service (pension) rules) 1972	ible direct recruits	Educational quali- fications required for direct recruits	Whether age and cational qualificational prescribed for directuits will apple of promotes	itions probation if any irect
6	7	8	9.	10
No.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment whether by direct recru ment or by promotion transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	tit- by promotion/depu- or tation/transfer, grad e from which/promo			Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13		14
100% by promotion	From amongst Draftsman Grade. II (Civil) (Rs. 1400- 2300) with 4 years regular service in the grade.	consisting of — (i) Superintending E (ii) Executive Enginee Surveyor of Works —Mei (iii) Any Group 'A, Of	ering promotion ngincer (Civil) Chairman, r (Civil) or s (Civil) mber.	Not applicable.
		3	4	5
2. Draftsman Grade, I (Electrical)	18* (1995) Go *Subject to variation dependent on workload.	eneral Central Rs. Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	1600-50-2300- EB-60-2660	Non-selection
6	- -	. 8	. 9	10
No	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
11	12	13		14
Gr (R 4 y	rom amongst Draftsman ade. II (Electrical) s. 1400-2300) with cars regular service the grade.	Group 'C' Department Committee for Consider consisting of — (i) Superintending Eng (ii) Executive Engineer of Works (Flect)— (iii) Any Group 'A' effic by the Telecom circ	ring promotion gineer (Elect)—Ch (Elect), or Surveyo Member. eer nominated	

by the Government in this Industrial Training Institute or equivalent from recognised regard). Note: The crucial date for institutions. Desirable: One years' experience determining the age limit shall be the closing date by which as Draftsman. employment exchange is asked Note: The qualifications regarding to submit the names. experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. 13 (i) 90% by direct Promotion from Ferro-Group 'C' Departmental Promotion Not recruitment through Printers with 8 years Committee for considering promotion and applicable employment exchange; regular service in the confirmation of direct recruits consisting ofgrade subject to passing (i) Superintending Engineer (Civil)—Chairman and the prescribed test for (ii) Executive Engineer (Civil) or Surveyor (ii) 10% by promotion. the purpose. of Works (Civil)—Member. (iii) Any Group 'A' officer to be nominated by the Telecom Circle—Member. 3 72* General Central Rs. 1200-30-1560-5. Draftsman Grade, Non-selection (1995)Service, Group 'C', EB-40-2040 III (Electrical) Non-Gazetted, Non-Ministerial *Subject to variation dependent on workload-10 6 18 to 25 years (Relaxable for (i) Matriculation or equiva-Not applicable 2 years for No departmental candidates lent from a recognised direct recruits. Board/University; and upto 40 years in accordance with the orders/instructions (ii) Two years Diploma/ issued by the Government Certificate in Draftsmanship (Electrical)/(Mechanical) in this regard). Note: The crucial date for from an Industrial Training determining the age limit Institute or equivalent from recognised institutions. shall be the closing date by which employment exchange Desirable: One years' experiis asked to submit the name. ence as Draftsman.

Note: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved

for them. 11 12 13 14 (i) 90% by direct recruit-Promotion from Ferro-Group 'C' Departmental Not applicable ment through employ-Printers with 8 years Promotion Committee for ment exchange; and regular service in the grade considering promotion and (ii) 10% by promotion; subject to passing the confirmation of direct prescribed test for the recruits consisting of-purpose. (i) Superintending Engineer (Elect)—Chairman (ii) Executive Engineer (Elect) or Surveyor of Works (Elect)- Member (iii) Any Group 'A' officer to be nominated by the Telecom circle.-Member

1	2	3	4	5
7. Ferro-Printer	62* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group C., Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 825-15-900-EB- 20-12 00	Non-selection
6	7	8	9	10
No	Not applicable	Not applicable	Not applica	ble 2 years

By promotion failing which by transfer	Promotion: From amongst Daftries who have put in 5 years regular service in the Department of Telecommunications. Transfer: By transfer of suitable persons holding similar or equivalent posts who have put in 5 years regular service in other departments under the Central Government or State Government.	Member (iii) Any Group 'A' Officer	Not applicable

इनेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, 1 जन, 1995

सा.का.नि. 335 :--राप्ट्रपति, संविधान के शनुष्छेव 309 के परन्तुक द्वारा प्रवन्त गक्सियों का प्रयोग करने हुए, इलेक्ट्रॉनिको विभाग (समृह "ख" श्रीर समृह "ग" पद) भर्ती नियम, 1977 का श्रीर संशोधन करने के लिए निम्नितिखित नियम बनाते हैं, ग्रथति :--

- া. (া) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (समुह "ख" श्रीर समुह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।
 - (2) में राजपव में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2. इलेक्टॉनिकी विभाग (समह ''ख'' श्रीर समृह ''ग'' पद) भर्ती नियम, 1977 की श्रनुसूची में परिवहन पर्यवेक्षक के पद में संबंधित कम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पण्चात् निम्नलिखित कम संख्यांक ग्रीर प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी,. ग्रर्थात् :---

ग्रमसनी

पद का	ानाम	पदों की संख्यां	वर्गिकरण	वेतनमान		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए श्रायुसीमा
1	2	3	4	5	6	7
â	प्रधिकारी	एक* (1995) *कार्यभार के श्राक्षार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।		2000-60-2300- व.रो75-3500 घ.	लागृनहीं होता	लाग् नहीं होता
			·			
	-	ाने वाले व्यक्तियों गैर श्रन्य श्रर्हताएं	विहित ग्रायु	कए जाने वाले व्यक्तियों स्रोर गैक्षिक सर्हताएं प्रे दशा में लागू होगी या	ोन्नत ्	ा को स्रवधि, यदि कोई हो
	-		विहित ग्रायु	श्रीर मैक्षिक अर्हताएं प्र	ोन्नत ्	ा को स्रवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रति- प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियो नियुक्ति/स्थानात्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जिनमे प्रोन्नित/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा । जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

11

12

प्रतिनियक्ति पर स्थानांतरण/स्थानांतरण द्वारा ।

- (क) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण केन्द्रीय/राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, स्वणासी निकायों श्रीर श्रन्य सरकारी निकायों के ऐसे श्रधिकारी में से :-
- (i) जिन्होंने स्टेशन श्रधिकारी (श्रीनिशमन)/ श्रीनिशमन श्रिधिकारी की श्रीणी में मदृष पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंन 2000-3200/- भवये के बैतनमान बाल पद पर उस ध्रीणी में कम से तम की वर्ष निविधित सेवा की है योर जिन्होंन राष्ट्रीय महाबिद्यालय, कागुर से स्टेशन श्रीटिशारी का पाठ्यक्रम पूरा दिया है या रखा श्रीनिशमन अतिस्थाद संस्थात रहा भवादय द्वारा संजालित प्रारंभिक श्रीनिशमन सेवा के बुनियादी पाठ्यक्रम या समत्रत्य पूरा विध्या है ।
- (ii) ऐसा उप अधिकारी (अग्निशमन)/अग्निशामक जिसने दमकल केन्द्र में से 1600-2660 रु. की श्रेणी में श्रुनिशामक प्रणाली में कार्य करते हुए कम से कम सान वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महा-विद्यालय, नागपुर से उप अधिकारी पाठ्यक्रम पूरा किया है या रक्षा मंत्रालय, रक्षा श्रुनिशमन प्रनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित प्रारंभिक श्रुनिशमन सेवा में बुनियादी पाठ्यक्रम या समतुल्य पूरा किया है या दमकल केन्द्र में ऐसा श्रुनिशमन महायक जिसने 1640-2900 रु. की श्रेणी में अग्निशमन प्रणाली में कार्य करते हुए कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा को है और जिन्होंने राष्ट्रीय श्रुनिशमन सेवा महाविधालय, नागपुर से उप अधिकारी का पाठ्यक्रम पूरा किया है या रक्षा मंत्रालय, रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित प्रारंभिक श्रुनिशमन सेवा में बुनियादी पाठ्यक्रम या समतुल्य पूरा किया है।
- (iii) 2000-3500 रु. के वेतनमान में इलेक्ट्रॉनिको विभाग के ऐसे अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय प्रग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से उप अधिकारी का प्रशिक्षण पूरा किया है या रक्षा मलालय, रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित प्रारंभिक अग्निशमन सेवा में बुनियादी पाठ्यक्रम या समतुल्य पूरा किया है।

(ख) स्थानांतरण

्रेकेन्द्रीय सरकार भ्रौर राज्य सरकारों के ऐसे श्रधिकारियों में से जिन्होंने उपरोक्त (i), (ii) या (iii) पर यथाविहित पान्नता मानदण्ड पूरा करते हों ।

टिप्पण :

 यदि व्यक्ति ग्रन्थथा उपयुक्त पाया जाता है तो उपरोक्त ग्रनुभव में दो वर्ष की छट दी जा सकती है।

- 2. प्रतिनियुक्ति की प्रविध जिसके ग्रन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी ग्रन्य काउर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की ग्रविध है, तीन वर्ष से ग्रिधिक नहीं होगी ।
- 3. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए प्रधिकतम श्राय सीमा आवेदन प्राप्त करने की श्रांतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श किया जायेगा ।

13

14

लागृनहीं होता

लागू नहीं होता

[सं. 1 (1)/91-पी.पी]

जी. भट्टाचार्य, उप निदेशक

टिप्पण: - मूल नियम ग्रिधिसूचना सं.सा.का.नि. 747 तारीख 1 जून, 1977 द्वारा भारत के राजपन्न में प्रकाशित किए गए थे श्रौर तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-

- 1. सा.का.नि. 455 तारीख 24-3-1979
- 2. सा.का.नि. 369 तारीख 26-3-1981
- सा.का.नि. 735 तारीख 27-4-1981
- 4. सा.का.नि. 557 तारीख 19-6-1982
- सा.का.नि. 815 तारीख 10-9-1982
- सा.का.नि. 153 तारीख 29-1-1983
- 7. सा.का.नि. 183 तारीख 29-1-1983
- · 8. सा.गा.नि. 702 तारीख 23-8-1983
- सा.का.नि. 907 तारीख 12-8-1984
- 10 सा.का.नि. 12 तारीख 19-12-1985
- 11 सा.का नि. 542 तारीख 26-6-1986
- 12. सा.का.नि. 439 तारीख 27-12-1988
- 13. सा.का.नि. 139 तारीख 26-2-1989
- 14. सा.का.नि. 485 तारीख 20-6-1989
- 15. सा.का.नि. 404 तारीख 30-5-1990
- सा.का.नि. 718 तारीख 25-10-1990
- 17. सा.का.नि. 748 तारीख 19-11-1990 18. सा.का.नि. 370 तारीख 15-7-1992
- 19. सा.का.नि. 106 तारीख 28-1-1993
- 20. सा.का.नि. 316 तारीख 20-5-1993

DE PARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 1st June, 1995

- G.S.R. 335:—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977 namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Schedule to the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977, after serial number 41 relating to the post of Transport Supervisor and entries relating thereto the following serial number and entries shall be added, namely:—

SCHEDULE

 C1								
S1. Name of the post No. of Classification No. posts		sification	•		Whether selection post or non-selection post		Age limit for direct recruits.	
1	2	3	4	5		6	···	7
	Section Officer Fire) *Subject to v work-load,	(1995) Serv Gro Gaz	ice, ap='B', etted nistrial)	Rs. 2000-60-2 EB-75-3500	300 Not A	applicable	Not	Applicable
	ational and other constitutions for direct recruit:	s. qual Di	ether age and ifications pre- rect Recruits the case of P	scribed for p will apply	Period of orobation, if any.	promotion transfer an	recruitm or by ad perce	nent, whether tent or by deputation ntage of the d by various
8 9		9		10	[11			
Not Applicable Not Applica		Applicable	\ <i>I</i>	Not Applicable	By transfer o	n deputa	ution/transfer	
In case of recruitment by promotion/deputation transfer grades from which promotion/transfer/deputation to be made.		i/trans- e	If a Departmental Committee exists what is its composition.		Circumstances in which Public Service Commiss to be consulted in n recruitment.		ommission is	
	1.	2		13		14		
(a) Transfer on Deputation: From amongst the officers of Central/State Government. Public Sector Undertakings. Autonomous bodies & other Governments			/State takings.	ot Applicable		Not Appli	icable.	
1587	GI/95—10				<u> </u>	 		refressioner#3/da franciscome a mon

12

bodies in the grade of :-

(i) Station Officer (Fire)/Fire Officer holding analogous post or post in the pay scale of Rs. 2000—3200/- with minimum 2 years regular service in the grade and having undergone Station Officer Course of National Fire Service College, Nagpur or basic course in Elementary Fire Fighting conducted by Defence Fire Research Institute, Ministry of Defence or equivalent.

OR

(ii) Sub Officer (Fire) with minimum 7 years regular Service in Fire Station. handling fire systems in the grade of R_3 , (5)) - 2553/- and having undergone Sub-officer's course of National Fire Service Collage, Nagpur or basic coursein Elementary Fire Fighting conducted by Defence Fire Reserch Institute, Ministry of Defence or equivalent. Or Fire Assistant with minimum 5 years regular service in Fire Station handling fire systems in the grade of Rs. 1642-2900/- and having undergone sub-officer's course of National Fire Service College, Nagpur or basic course in Elementary Fire Fighting conducted by Defence Fire Research Institute. Ministry of Defence or equivalent.

OR

(iii) Section Officers of Department of Electronics in the scale of pay scale of Rs. 2000—3500/- who have undergone sub-officer's training at National Fire Service College, Nagpur or basic course in Elementary Fire Fighting conducted by Defence Fire Research Institute, Ministry of Defence or equivalent.

(b) Transfer:

From amongst the officers of Central Government and State Governments, fulfilling the eligibility criteria as prescribed at (i) (ii) or (iii) (iii) above.

NOTE :--

- 1. The experience stated above is relaxable by two years if the person is found otherwise suitable.
- 2. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the Department of Electronics shall not exceed three years.
- Maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not exceed 56 years as on the closing date for receipt of application.

[No. 1(1)/91-PP]

G. BHATTACHARYA. Dy. Director.

NOTE:—Principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India vide Notificati on No. GSR 747, dated the 1st June, 1977 and subsequently amended vide:—

- 1. G.S.R. 455 dated 24-3-1979
- 2. G.S.R. 369 dated 26-3-1981
- 3. G.S.R. 735 dated 27-4-1981
- 4. G.S.R. 557 dated 19-6-1982
- 5. G.S.R. 815 dated 10-9-1982
- 6. G.S.R. 153 dated 29-1-1983
- 7. G.S.R. 183 dated 29-1-1983
- G.S.R. 702 dated 23-8-1983
- 9. G.S.R. 907 dated 02-8-1984
- 10. G.S.R. 12 dated 19-12-1985
- 11. G.S.R. 542 dated 26-6-1986
- 12. G.S.R. 439 dated 27-12-1988
- 13. G.S.R. 139 dated 16-2-1989
- 14. G.S.R. 485 dated 20-6-1989
- 15. G.S.R. 404 dated 30-5-1990
- 16. G.S.R. 718 dated 25-10-1990
- 17. G.S.R. 748 dated 19-11-1990
- 18. G.S.R. 370 dated 15-7-1992
- 19. G.S.R. 106 dated 28-1-1993
- 20. G.S.R. 316 dated 20-5-1993

स्वास्थ्य भीर परिवार कल्याण मंत्रासय

(स्वास्च्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 जून, 1995

सा.का.कि. 326. -राष्ट्रपति, संविधान के अनुष्छेव 309 के परन्तुक द्वारा प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफदरजंग अस्पताल (तृतीय खेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक उनका संबंध एक्सरे सहायक के पद से हैं, उन बातों के तिबाद अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिकामण से पहलें किया गया है या करने का विचार है, सफवरजंग अस्पताल में एक्सरे सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:---

1. संक्षिप्त नाम श्रीर प्रारम्भ (1) : इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग ग्रस्पताल, नई विल्ली, समूह "ग" (एक्सरे सहायक) भर्ती नियम, 1995 है।

- (2) ये राजयव में प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संदर्श, वर्गीकरण भीर वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण श्रीर उसका वैतनमान वह होगा, जो इत रममों से उपावश अनुस्की के स्तर्≪ 2 से 4 में विनिदिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आप-सीमा, प्रहेनाएं ग्रादि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, श्राय-सीमा, अर्हताएं ग्रीर उससे संबंधित ग्रन्थ पात वे होगी जो उपल अनुस्ची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिविष्ट हैं।
 - 4. निर्हता : वह व्यक्ति --
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
 - (ख) जिसने श्रपने पति या श्रपनी पतनी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

ख्दत पद पर नियक्षित का जात नहीं हेता:

पन्त् यदि वेन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के श्रन्य पत्रकार को साग स्वीट टिशि वे इधीन अनक्षेत्र है और ऐसा करने के लिए श्रन्थ श्राधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से ट से समेगा।

- हे. क्रिविरा घरने की प्रक्षित : जहां केट्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना <mark>ग्रावश्यक या समीचीन है, वहां</mark> हिए. जो कारण हैं उन्हें लेखबढ़ करके इन नियमों के जिसी उपबंध की किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति की बाबत, आदेश द्वारा शिथित द.र र दे ग[ि]।
- उचावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे म्रारक्षण, म्रायु-सीमा में छूट भ्रीर मृन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन पर केन्द्रीय रुखार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए श्रादेशों के प्रनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भतपूर्व सैनिकों भार प्रान्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपवन्ध करना प्रापेक्षित है।

श्रन्**यूर्या**

रथ का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वैतनमान
1	2	3	4
एक्सरेसहायक	^क 4 (सार) (1995) ^क कार्यभार के ब्राधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय संवा, समृह ''ग'' प्ररजापन्नित श्रननुसचिवीय	975-20-1150-द. रो30- 1540 रुपये
5		6	. 7
स्थन पद अथवा अचयन पद			————————————————— सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियं के लिए ध्रायु-सीमा
लागू नहीं होता	मर्शी	1	8 से 25 वर्ष के बीच
			क्कारा जारी किए गए बनुदेशों य इटसरकारी सेव्नकों के लिए शिथिह

ंकरके 36 वर्ष सककी जा सकसी है।

के लिए कहा गया है।

टिप्पण रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुवित की दशा में प्रायु-सीमा प्रवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख यह श्रन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से जनाम भेजने

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए श्रपेक्षित शैक्षिक श्रौर श्रन्य श्रर्हेताएं	सीधे भर्ती किए जाने बाले व्यक्ति लिए विहित स्रायु और गैक्षिक प्रोधन व्यक्तियों की दणा में ला या नहीं	धर्दताए ग _ु होगी
8	- 	10
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेणन या समतुल्ब श्रहंता।	त्राग् नहीं होता	दो वर्ष
 किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विविरणी चित्रण मे वो वर्ष की श्रवधि का डिप्लोमा/प्रमाण-पद्म या समतुल्ब 		
टिप्पण : अर्हनाएं अन्यशा भुग्रहित श्रम्यवियों की दशा	में संघ लांक सेना श्राबीग के वि	बिकानुसार णिथिल की जा सकती है।
प्रक्रम पर तव लोक सेबा अपनोग∤सक्षम प्र रिक्षित्यों को भरते के लिए अपेक्षित असुभव की सभावना नहीं है।	भ्यभिमों की दशा में तब शिक्षि संश्रिकारी∱कर्मवारी जयन श्राय र रचने जाले उन सम्हायों र	त की जा सकती हैं (हैं) जब चयन के किकी तम की यह राय है कि उनके लिए स्नारक्षित ह स्रभ्यक्षियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध टीने
भर्ती की पखित/भर्ती सीधे होगी या प्रोमित हारा वा प्रतिनिहि विभिन्न पढिनियों हारा भरी जाने बोली रिक्नियों की प्रतिषतन	π ['] ''	पोर्कात/प्रसित्तियुक्ति/स्थानान्तरणं द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोक्ति /प्रति- नियुक्ति/प्रानान्तरणं किया जाएगा
11,		12
रोजगार कार्यालय के माध्यम से मत-प्रतिमत मीधी भत्ती हार	TI	ान् नहीं होता।
टिप्पणं: पबधारों के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर या ता या किन्हीं श्रन्य परिस्थितियों; एक वर्ष या उससे श्रव्धि के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे श्रव्धिका। स्थानान्तरण के श्राधार पर भरी जा सकेगी —	क अवधि के लिए बाह्य रहने	
(क) (i) जो नियमित आधार पर संदुण पद धारण लिए	्रहुए ई; या	
(ii) जिन्होने 950-1400/825-1200 स्पर्वे बा पर ३—-5 वर्ष नियमित सेवा की है; फ्रीर	यमतुस्य वैक्षतमान बाल पदा	
(ख) जिनके पास स्तम्भ s के प्रधीम सोबे भर्ती कि लिए विहित ग्रह्ताए और श्रनुभव।	ए जाने वाले व्यक्तियों के	
यदि विभागीय प्राप्तित समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करते, में किन प्रिस्थितियों में संध लोक सेका क्रायोग से परामर्श-किया जाएगा
1 3		1 4
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति :		नाग् नहीं होना
 प्रपर चिकित्साम्ब्रधीक्षक — प्रध्यक्षः 		Y ate there

.. 13

- 2. विभागाध्यक्ष (विकिरण-चिकित्सा विज्ञान) ---सदस्य
- 3. मुख्य प्रशासनिक ग्रधिकारी --सदस्य

[सं. ए. 11018/16/91-आर. श्रार. (एच.)] श्याम जिन्दल, श्रवर संचिव

पाद टिप्पण: सफदरजंग श्रस्पताल (तृतीय श्रेणी पद) नियम, 1973 ग्रिधिसूधना सं. ए-12018/3/72-(एच.) जिल्द 2(1) तारीख 17-12-1973 (सा.का.नि.सं. 5) द्वारा प्रकाणित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Deptt. of Health)

New Delhi, the 22nd June, 1995

- G.S.R. 336.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjang Hospital (Class III posts) Recruitment Rules, 1973 in so far as they relate to the post of X-ray Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of X-ray Assistant in the Safdarjang Hospital, namely:—
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Safdarjang Hospital, New Delhi, Group 'C' (X-ray Assistant) Recruitment Rules, 1995
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

- 4. Disqualification.—No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for such doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
- 6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non- selection post	Whether be- nefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rule, 1972
1	2	3	4	5	6
X-Ray Assistant	4(four)* (1995)	General Central Service, Group 'C, Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 975-201150- EB-30-1540	Not applicable	No
*Subject to varie	ation dependent on w	ork-load.			

[भाग IIबांड 3(i)] भारत का राजपन्न: मुलाई 15,1995/ भाष			1641
_	Educational and other quali required for direct recruits	fications Wheiher age and educational qual prescribed for dir recruits will appl case of promotee	ifications probation if any rect y in the
7	8	9	10
(Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Note:—In respect of post, the	1. Matriculation or equivale qualification from a record Board. 2. Diploma/certificate in Regraphy of 2 years duratifrom recognised institution equivalent. Note: 1. Qualifications are able at the discretion of Union Public Service Cosion/Staff Selection Comming the case of candidates wise well qualified. Note: 2. The qualification regarding experience is/relaxable at the discretion the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent rity in the case of candidates or Seheduled Tribes if a stage of selection the Ur Public Service Commission Commission Competent Authority is opinion that sufficient most candidates from these munities possessing the experience are not likely available to fill up the varies of them.	adio- on ion or relax- the mmis- mission other- (s) are n of cion Autho- dates Castes tt any nion on/ of the umber e com- requisite to be	Two years
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/ transfer grade from which promotion/ deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition?	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13	14
100% by direct recruitment through Employment Exchange. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer non deputation or long	Not applicable	Departmental Promotion Committee for confirmation: I Additional Medical Suptt.—Chairman	Not applicable

illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may belifiled on transfer on deputation ____ from officers of Central Govt.:

- (a) (i) holding analogous posts, on regular basis; or
- (ii) with 3-5 years regular service in posts in the scale of Rs. 950-1400/825-1200'- or equivalent; and
- (b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

2. Head of Department (Radiology)—Member

13

 Chief Administrative Officer -- Member.

[No. A-11018/16/91-RR. (H)] SHYAM JINDAL, Under Secy.

Foot Note:—The Safdarjang Hospital (Class III posts) recruitment Rules, 1973 were published—vide notification. No A-12018/3/72(H) vol. 2(1) dated 17-12-73 (G.S.R. No. 5)